दिनांक 17 अगस्त, 2023 को आयोजित एनसीवीईटी परिषद् की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान: एनसीवीईटी, कौशल भवन दिनांक: 17 अगस्त 2023

समय: 12.00 अपराहन

फाइल सं. 360004/04/2020/एनसीवीईटी

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार

<u>दिनांक 17 अगस्त, 2023 को आयोजित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) की नौवीं परिषद् बैठक डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष एनसीवीईटी की अध्यक्षता में दिनांक 17 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** पर रखी गई है।

शुरुआत में, अध्यक्ष ने श्री निलांबुज शरण, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) का स्वागत किया जिन्हें एमएसडीई के दिनांक 16 अगस्त, 2023 के पत्र सं. ईपी/45/2020-यूएस (आर्थिक प्रभाग) द्वारा एनसीवीईटी परिषद् के नामित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा दिनांक 17 नवंबर, 2022 के पत्र सं. 31/1/2022-ईओ(एसएम-II) के माध्यम से, तीन गैर-कार्यकारी सदस्यों श्री शैलेश कुमार सिंह, आईएएस, अपर सचिव एवं डीसी एमएसएमई (अब एमएसएमई के सचिव), श्री कर्मा जिम्पा भूटिया, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सुश्री सौम्या गुप्ता, आईएएस, संयुक्त सचिव, एमओई को दिनांक 5 जून, 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात दिनांक 5 जून, 2023 तक नियुक्त किया गया था। एमएसडीई से उनकी सेवा के विस्तार अथवा नए सिरे से नामांकन के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। अत:, दिनांक 5 जून, 2023 के परिषद् में 3 रिक्तियां बनी हुई हैं। इस प्रकार, इन रिक्तियों को छोड़कर बैठक में परिषद् के सभी सदस्य उपस्थित थे।

चूंकि उनके नामांकन की अवधि समाप्त हो गई है, अत: एमएसडीई से पुन: अनुरोध किया जाए कि वे नए गैर कार्यकारी सदस्यों के नामांकन के लिए मामला उठाएं। चूंकि वीईटी और कौशलीकरण का नई शिक्षा नीति और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के माध्यम से

शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में एकीकरण का कार्य प्राथमिकताओं में से एक है, अत: परिषद् ने महसूस किया कि सदस्यों का नामांकन करते समय एमएसडीई से अनुरोध किया जाए कि वे उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक सदस्य की सिफारिश करने पर विचार करें। इसके अतिरिक्त, दो सदस्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) से नामित किए जाएं, जैसा कि पहले ही विगत में किया गया था। समिति के सदस्यों का यह भी विचार था कि यदि संभव हो तो अंतर-मंत्रालयी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नामित मंत्रालय के सचिव, भारत सरकार के विवेक पर पदेन (संयुक्त सचिव से कम नहीं) नामित किए जा सकते हैं।

इस कार्यसूची मद पर चर्चा की गई और बैठक में कार्यसूची के मदों के संबंध में परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय बाद के पैराओं में दिए गए हैं।

1. <u>कार्यसूची मद सं.सी 0901: परिषद् की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

1.1 चूंकि एनसीवीईटी परिषद् की आठवीं बैठक के संबंध में कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी अत: परिषद् ने दिनांक 20 मार्च, 2023 को आयोजित एनसीवीईटी परिषद् की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2. <u>कार्यसूची मद सं.सी0902: परिषद् की आठवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट</u>

2.1 परिषद् की आठवीं बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का एक विस्तृत विवरण परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। परिषद् के सदस्यों ने की गई कार्रवाई को नोट किया और उसे अनुमोदित किया। पूरे किए गए अनुपालनों के संबंध में की गई कार्रवाई का सार नीचे दिया गया है:

2.1.1. **पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के लिए दिशा-निर्देशों की अधिसूचना:** परिषद् को अवगत कराया गया था कि पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त, 2023 को अधिसूचित कर दिए गए हैं जो उचित प्रक्रिया अपनाने और अन्य

शेयरधारकों से प्राप्त संगत टिप्पणियों सहित एमएसडीई की टिप्पणियों को विधिवत् शामिल करने के बाद तैयार किए गए थे।

2.1.2. **व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशलीकरण में भारतीय भाषाओं के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति:** परिषद् को अवगत कराया गया था कि 4311 सक्रिय अर्हताओं में से एनएसक्यूएफ के अनुरूप 1100 अर्हताओं और अनुमोदित अर्हताओं का हिंदी अनुवाद का कार्य संबंधित अवार्ड करने वाले निकायों द्वारा पूरा कर दिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है जिसकी नियमित आधार पर समीक्षा की जा रही है।

2.1.3 **परिषद् ने अनुवाद कार्य की प्रगति की धीमी गति पर अपनी चिंता व्यक्त की और एनसीवीईटी को निर्देश दिया कि वे सभी मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों को उन अर्हताओं के हिंदी अनुवाद का कार्य पूरा करने के संबंध में विशेष जोर देकर दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 तक इस कार्य को शीघ्र पूरा करें जो पीएमकेवीवाई 4.0 योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही हैं जिसके बिना इन अर्हताओं को उपर्युक्त योजना में कार्यान्वित किए जाने के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए।**

2.1.4 **परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि एनएसडीसी से यह कहा जाए कि वे दिनांक 25 अगस्त, 2023 तक पीएमकेवीवाई4.0 के तहत संचालित किए जाने के लिए चुनी गई एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं का विस्तृत विवरण और हिंदी अनुवाद कार्य के लिए उनकी स्थिति बताएं।**

2.1.5 **एनसीवीईटी के प्रशासनिक मामले:** परिषद् को यह भी सलाह दी गई थी कि वे एनसीवीईटी की आईटी परिसंपत्तियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए लैपटाप का उनके सहायक हिस्से पुर्जों सहित बीमा कराने की उचित प्रक्रिया की पहल करें। परिषद् को अवगत कराया गया था कि तीन सरकारी बीमा कंपनियों से पहले ही संपर्क कर लिया गया है और बीमा की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2.1.6 **परिषद् ने सलाह दी कि एनसीवीईटी के सरकारी लैपटॉप के वर्तमान सैट का किसी भावी खरीद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा किए बिना यथा-शीघ्र बीमा कराया जाए। वैकल्पिक रूप से, यदि दरों के साथ ई-जीईएम के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है तो उन्हें भी इस शामिल किए जाने की व्यवहार्यता की जांच कर बीमा संविदा में शामिल किया जाए।**

परिषद् ने की गई गई कार्रवाई रिपोर्ट के संबंध में प्रगति को नोट किया और उपर्युक्तानुसार की गई कार्यवाहियों को अनुमोदित किया।

3. <u>कार्यसूची मद सं.सी0903:</u> राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) की अधिसूचना और उसके कार्यान्वयन का स्तर

3.1 **एनसीआरएफ अधिसूचना:** राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और दिनांक 10 तथा 21 अप्रैल, 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। इसके बाद, एनसीवीईटी ने भी दिनांक 12 मई, 2023 को जारी एक आदेश के माध्यम से एनसीआरएफ अपना लिया है जिसकी प्रति निम्नलिखित यूआरएल पर है:

https://www.ugc.gov.in/NCrF.aspx

और

https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/05/ReportNational_Credit_Framework.pdf

परिषद् ने इस प्रगति को नोट किया और उसका अनुसमर्थन किया।

3.2 **एनसीआरएफ के कार्यान्वयन के संबंध में स्थिति:**

3.2.1. परिषद् को एनसीआरएफ की कार्यान्वयन योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 मई, 2023 को एक उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता एवं सह-अध्यक्षता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और एनसीवीईटी के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अब तक चार बैठकें क्रमश: दिनांक 8 जून, दिनांक 14 जुलाई, दिनांक 27 जुलाई और दिनांक 10 अगस्त, 2023 को आयोजित की जा चुकी हैं। एचएलसी ने अपनी पहली बैठक के दौरान तीन उप-समितियां, एक विद्यालयी शिक्षा के लिए, एक उच्च शिक्षा के लिए और एक व्यावसायिक शिक्षा के लिए बनाई थी ताकि उसके लिए संबंधित कार्यप्रणालियों के अंतर्गत कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को हल किया जा सके और उसके लिए एसओपी तैयार की जा सके।

3.2.2. उप-समितियों से अनुरोध किया गया है कि वे दिनांक 31 अगस्त, 2023 तक उच्च-स्तरीय समिति को अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करें। सभी उप समितियों ने दिनांक 10 अगस्त, 2023 को आयोजित एचएलसी की चौथी बैठक के दौरान अपनी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एचएलसी की अंतिम रिपोर्ट परिषद् को उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

3.2.3. यह स्पष्ट किया गया था कि व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण को एक सुचारु ढंग से उच्च शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा में एकीकृत किए जाने का प्रयास है। और साथ ही, अब तक प्राप्त की गई प्रगति के अनुसार अधिकतर संस्थाओं में इस वर्ष 2023-24 के अंतर्गत इस प्रक्रिया को शुरु करना संभव होगा।

परिषद् ने संतुष्ट होकर इस प्रगति को नोट किया।

4. कार्यसूची मद सं.सी0904: एनसीवीईटी द्वारा तैयार किए जा रहे विभिन्न दिशा-निर्देशों की स्थिति

4.1 परिषद् को व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशलीकरण को पूरा करने की प्रक्रिया के अनुसार एनसीवीईटी द्वारा लिए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों की प्रगति के स्तर के संबंध में अद्यतन किया गया। विभिन्न नीतियों को चलाया गया है और अर्हता विकास, पूर्व-शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) संबंधी दिशा-निर्देशों,

मूल्यांकन तंत्र संबंधी दिशा-निर्देशों, प्रमाण-पत्र के टैम्पलेट के मानकीकरण, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) संबंधी दिशा-निर्देशों, मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) संबंधी दिशा-निर्देशों, ओईएम अर्हताओं संबंधी दिशा-निर्देशों, ओईएम सहित एमएनसी संबंधी दिशा-निर्देशों, डिप्लोमा अर्हताओं के लिए दिशा-निर्देशों, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, मॉनीटरिंग संबंधी दिशा-निर्देशों आदि के क्षेत्रों में विकसित किया गया है जो विभिन्न चरणों में है। दिशा-निर्देशों की विस्तृत स्थिति **अनुबंध-I** पर दी गई है। परिषद् को पूर्व की बैठकों में समय समय पर इन दिशा-निर्देशों के विकास और अन्य विकासों की स्थिति के संबंध में अद्यतन रखा गया है। विभिन्न श्रेणियों के स्नैप-शॉट नीचे उल्लिखित किए गए हैं:

क) हितधारकों और जनता के परामर्श के बाद विकसित और अंतिम रूप दिए गए दिशा-निर्देशों/नीतियों की संख्या जिन्हें एनसीवीईटी द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।	09
ख) विकास प्रक्रियाधीन दिशा-निर्देशों/नीतियों की संख्या	25

परिषद् ने संतुष्ट होकर विभिन्न दिशा-निर्देशों को तैयार किए जाने के संबंध में अब तक की गई प्रगति को नोट किया और अनुबंध-II पर रखे गए अनुसार सभी 9 दिशा-निर्देशों/नीतियों का अनुसमर्थन किया।

परिषद् ने संतुष्ट होकर विकास प्रक्रिया के तहत 25 दिशा-निर्देशों/नीतियों को भी नोट किया। इसके ब्यौरे अनुबंध-II पर रखे गए हैं।

5. कार्यसूची मद सं.सी0905: पूर्व शिक्षण की मान्यता (आपीएल) के संबंध में दिशा-निर्देशों की अधिसूचना

5.1 परिषद् को जीवन-पर्यन्त शिक्षण की स्पष्टता के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति(एनईपी) द्वारा रखे गए महत्वपूर्ण जोर से अवगत कराया गया था। इस नीति का एक ध्रुवीय पहलू पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के लिए फ्रेमवर्क की स्थापना है। आरपीएल आधारभूत, माध्यमिक अथवा उन्नत साक्षरता और शिक्षा को लेते हुए व्यक्तियों द्वारा प्राप्त क्षमताओं, कौशलों और व्यावसायिक

स्तरों को वैध करने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह कार्य गैर-औपचारिक, औपचारिक, अथवा पारंपरिक शिक्षण के मार्गों के माध्यम से पूर्व प्रभावी रूप से प्राप्त किए जाते हैं।

5.2 परिषद् को की जा रही सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया से अवगत कराया गया था जिसमें विभिन्न हितधारकों से महत्वपूर्ण टिप्पणियां और विचार शामिल थे। इन इनपुटों की अत्यधिक सावधानी से समीक्षा की गई थी और समग्र एवं व्यापक दृष्टिकोण में परिषद् की प्रतिबद्धता को देखते हुए दिशा-निर्देशों में संगत खंडों में एकीकृत किया गया था।

5.3 सार्वजनिक परामर्श के दौरान बहुत से हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को शामिल किया गया था। एमएसडीई के सुझावों पर भी विचार किया गया था, जैसा कि परिषद् द्वारा उनकी परिषद् की आठवीं बैठक में निर्णय लिया गया था। ये दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2023 को अधिसूचित कर दिए गए हैं।

परिषद् ने संतुष्ट होकर इसे नोट किया और दिशा-निर्देशों का अनुसमर्थन किया।

परिषद् ने यह भी महसूस किया कि आरपीएल की महत्ता को बढ़ाने के लिए एमएसडीई पदम पुरस्कारों और अर्जुन पुरस्कारों जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मान देने के लिए संबंधित कौशलों/क्षेत्रों में मास्टर्स के रूप में उनकी विशेषज्ञता को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरों पर मान्यता देकर उन्हें आरपीएल प्रमाण-पत्र प्रदान कर एक विशेष अभियान/समारोह आयोजित करे।

6. कार्यसूची मद सं.सी0906: विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा सहित सभी स्तरों पर कार्य-भूमिकाओं/अर्हताओं के लिए रोजगार योग्य कौशलों, साफ्ट कौशलों और जीवन कौशलों के संबंध में एनओएस/एमसी विकसित करने के संबंध में समिति के गठन संबंधी सार।

6.1 परिषद् को बताया गया था कि विभिन्न अवधियों अर्थात 30 घंटे, 60 घंटे, 90 घंटे और 120 घंटे के रोजगार योग्य कौशल (ईएस) मॉड्यूल डीजीटी द्वारा तैयार किए गए थे और जून, 2022 में आयोजित एनएसक्यूसी की बीसवीं बैठक में और उसके

बाद दिनांक 20 मार्च, 2023 को आयोजित एनसीवीईटी परिषद् की आठवीं बैठक में अनुमोदित किए गए थे। एनसीवीईटी को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि विद्यमान मॉडयूल में पर्याप्त लचीलेपन का प्रावधान नहीं है और क्षेत्र/उद्योग/नियोक्ता की कार्य-भूमिका की वास्तविक अपेक्षाओं के लिए पर्याप्त/अनुरूप नहीं हो सकते अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय ईएस/एसएस/एलएस कौशलीकरण को उच्च शिक्षा में एकीकृत करने के लिए अपेक्षित होते हैं।

6.2 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्यमान ईएस एनओएस की समीक्षा की जा रही है ताकि रोजगार योग्य एनओएस को उपयुक्त संघटकों के साथ उनकी संबंधित अर्हताओं में शामिल करने के लिए अवॉर्ड करने वाले निकायों को अपेक्षित लचीलापन प्रदान किया जा सके। तद्नुसार, ईएस एनओएस/एमसी की समीक्षा करने के लिए, उसके संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए और प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक कार्य-भूमिका की आवश्यकता के आधार पर रोजगार योग्य कौशलों, साफ्ट कौशलों और जीवन कौशलों के रूप में शामिल किए जाने के लिए संघटकों का सुझाव देने के लिए एक उप-समिति बनाई गई है। विभिन्न ईएस/एलएस/एसएस के इन माड्यूलों और सब-माड्यूलों को तैयार करने से एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ/एनओएस/एमसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अर्हताएं विकसित करते समय लक्षित छात्रों/सीखने वाले दर्शकों की आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार अर्हता कौशल के राष्ट्रीय व्सावसायिक मानक (एनओएस)/ माइक्रो-क्रेडेंशियल्स (एमसी) तैयार करने के लिए सब-माड्यूल लेने हेतु एचईआई सहित अवार्ड करने वाले निकायों को अत्यधिक अपेक्षित लचीलापन प्राप्त होगा।

6.3 समिति के गठन और समिति के लिए निर्धारित संदर्भ शर्तें **अनुबंध-III** पर संलग्न हैं। कार्य प्रगति पर है।

6.4 यह विचार-विमर्श किया गया था कि एडुटेक और अन्य जैसे बहुत अच्छे संगठन हैं जो ऐसे नए नए समाधान दे सकते हैं जो रोजगार योग्य कौशलों, साफ्ट कौशलों और जीवन कौशलों के संबंध में एनओएस/एमसी तैयार करने में महत्वपूर्ण

योगदान कर सकते हैं। एडुटेक मंच के माध्यम से सीखने वाले पाठ्यक्रमों की व्यापक रेंज और उनकी आवश्यकताओं और हितों के लिए विशिष्ट रूप से बनाए गए मॉड्यूलों में पहुंच कर सकते हैं। ये मंच यह सुनिश्चित करते हुए कि सीखने वाले आवश्यक कौशल दक्षता से प्राप्त करते हैं, सीखने के अनुभव को व्यक्तिगत करने के लिए कृत्रिम बुद्धि और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकियों को प्राय: बढ़ाते हैं।

6.5 वर्तमान में विकसित किए जा रहे रोजगार योग्य कौशलों को वित्त पोषण की आवश्यकता होगी जो संकल्प अथवा किसी अन्य निधि, जो भी एमएसडी द्वारा उपयुक्त माना जाए, जैसी सरकारी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदान की जा सकती है, ताकि वह एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति बने और नि:शुल्क प्रदान की जाए। परिषद् ने एमएसडीई से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया कि वे समयबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता तथा रोजगार योग्य कौशलों, साफ्ट कौशलों और जीवन कौशलों में उच्च गुणवत्ता की डिजिटल परिसंपत्तियां तैयार करने के कार्य को पूरा करने में सक्षम एजेंसियां प्रदान करने के लिए किसी कार्यक्रम का सुझाव दे।

परिषद् ने संतुष्ट होकर इस प्रगति को नोट किया। सभी सदस्यों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे चल रहे कार्यों के संबंध में किसी इनपुट अथवा सुझावों को एनसीवीईटी के साथ साझा करें।

7. कार्यसूची मद सं.सी0907: अवार्ड करने वाले निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों को मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति।

7.1 परिषद् को दिनांक **16.08.2023** की स्थिति के अनुसार अवार्ड करने वाले निकायों की मान्यता और एए प्रस्तावों की स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया था। प्रस्तावों की विस्तृत स्थिति क्रमश: **अनुबंध-IV और अनुबंध-V** पर दी गई है। अवार्ड करने वाले निकायों की मान्यता और एए प्रस्तावों की स्थिति का स्नैप-शॉट नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	मान्यता प्रक्रिया के चरण	एबी	एए	कुल
क)	आवेदक निकायों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की कुल संख्या	140	198	338
ख)	वे आवेदन-पत्र जिनमें जांच/मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर दी गई है	126	176	302
ग)	वे आवेदन-पत्र जिनकी जांच की जा रही है, प्रक्रिया/पुन: कार्यक्रम बनाए जाने का अनुरोध आवेदक निकायों से प्राप्त हुआ/आवेदक निकायों से सूचना प्रतीक्षित है	14	21	35
घ)	वे आवेदन-पत्र/प्रस्ताव जो आवेदक निकायों द्वारा वापस लिए गए हैं	15	43	58
ड.)	वे आवेदन-पत्र जो पात्र नहीं पाए गए हैं	22	70	92
च)	आयोजित की गई उप समिति की बैठक और आवेदक निकाय से प्रतीक्षित अनुपालन	02	08	10
छ)	जारी किया गया आशय-पत्र और आवेदक निकाय को प्रदान की गई अनंतिम मान्यता	11	02	13
ज)	आवेदक निकाय को नियमिति मान्यता प्रदान किए जाने के लिए हस्ताक्षर किए गए करार	76	54	130

7.2 परिषद् को अवगत कराया गया था कि अवॉर्ड करने वाले निकाय के रूप में एनसीवीईटी की मान्यता की मांग करने के लिए प्राप्त 140 आवेदन-पत्रों में से 126 आवेदन-पत्रों पर पहले ही कार्रवाई कर दी गई है/निर्णय ले लिया गया है और 14 प्रस्ताव विभिन्न छंटनी/जांच के चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, जिन

प्रस्तावों की वर्तमान में जांच की जा रही है, वे सभी नए प्रस्ताव हैं जो पिछले दो माह में एनसीवीईटी को प्राप्त हुए हैं।

7.3 एए प्रस्तावों के संबंध में 198 आवेदन पत्रों में से 176 आवेदन-पत्रों पर पहले की कार्रवाई कर दी गई है और केवल 21 प्रस्ताव छटनी/जांच के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, जिन प्रस्तावों की इस समय जांच की जा रही है, वे सभी नए प्रस्ताव हैं जो एनसीवीईटी को पिछले दो माह में प्राप्त हुए हैं।

परिषद् ने संतुष्ट होकर इस प्रगति को नोट किया और उस परिश्रम तथा गति की सराहना की जिसके साथ मान्यता की प्रक्रिया की गई है तथा एनसीवीईटी द्वारा पूरी की गई है।

परिषद् ने अनुबंध-IV और अनुबंध-V के अनुसार अब तक प्रदान की गई मान्यताओं के अनुसमर्थन सहित उपर्युक्त पैरा 7.1 के अन्तर्गत सूचीबद्ध तालिका के अनुसार प्रस्तावों की मान्यता के स्तर का अनुमोदन किया।

8. कार्यसूची मद सं.सी0908: एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों(एबी) और मूल्यांकन एजेंसियों (एए) को मान्यता कोड देना

8.1 परिषद् को निम्नलिखित उद्देश्यों से कौशल कार्य-प्रणाली में उचित संदर्भ, जिम्मेदारी और मानकीकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से एनसीवीईटी के सभी मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों को मान्यता कोड प्रदान करने के लिए तैयार की गई एसओपी का विस्तृत विवरण दिया गया था।

8.1.1 अवार्ड करने वाले निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों की पहचान, बेहतर जिम्मेदारी और पता लगाए जाने की अर्हता को सुविधाजनक ढंग से आसान बनाना।

8.1.2 एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियों के संबंध में तत्काल आधार-भूत सूचना में पहुंच आसान बनाना।

8.1.3 इससे मान्यता तथा मानीटरिंग प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण रूप से सुकर होंगी।

8.1.4 जैसे ही पूरी प्रक्रिया डिजिटल इंटरप्राइज पोर्टल (डीईपी) पर संचालित की जाएगी, ये मान्यता कोड एक ही क्लिक से संगठन के बारे में कार्य-प्रवाह के कार्यान्वयन और विस्तृत सूचना प्रदान करना सक्षम बनाएंगे।

मान्यता कोड तैयार करने और प्रदान करने के लिए विकसित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) **अनुबंध VI** पर रखे हैं।

परिषद् ने एसओपी के खास पहलुओं और लाभों को नोट किया और उन्हें अनुमोदित किया ।

9. कार्यसूची मद सं.सी0909: एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों(एबी) और मूल्यांकन एजेंसियों (एए) को औपचारिक 'मान्यता पत्र' जारी करना

9.1 परिषद् को अवगत कराया गया था कि मान्यता के सबूत के रूप में हस्ताक्षरित करार के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त कंपनियों को 'मान्यता पत्र' भी जारी किए जाने की आवश्यकता होती है। मान्यता पत्र मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों के लिए उद्योग निकायों, अन्य संबंधित हितधारकों को उनके प्रमाण-पत्र वैध करने के लिए मान्यता स्तर का औपचारिक रूप से दस्तावेज करने हेतु तैयार मान्यता के सबूत और संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

9.2 मान्यता पत्र निम्नलिखित कंपनियों के लिए पृथक रूप से बनाया गया है:

9.2.1 अवार्ड करने वाले निकाय (दोहरी श्रेणी)

9.2.2 अवार्ड करने वाले निकाय (मानक श्रेणी)

9.2.3 मूल्यांकन एजेंसियां

9.3 पत्र में मान्यता की निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख है:

9.3.1 क्षेत्र और क्षेत्रीय न्यायाधिकार जिसके लिए मान्यता प्रदान की गई है।

9.3.2 कंपनी के प्रमुख कार्य और जिम्मेदारियां।

9.3.3 करार पर हस्ताक्षर करने और उसकी वैधता के माध्यम से मान्यता प्रदान करने की तारीख।

सभी तीन (03) विभिन्न श्रेणियों के लिए पत्रों का मानक प्रारूप एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से 'फाइल पर' पर प्रदान किया गया है और उसे **अनुबंध-VII** के रूप में संलग्न किया गया है।

परिषद् ने इसे नोट किया और उसका अनुसमर्थन किया।

10. कार्यसूची मद सं.सी0910: मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों द्वारा मूल्यांकन एजेंसियों की कुल संख्या ऑन-बोर्डिंग के लिए करार खंड का संशोधन

10.1. परिषद् को अवगत कराया गया था कि अवार्ड करने वाले निकायों (एबी) और एनसीवीईटी के बीच हस्ताक्षर किए गए करार के अनुसार अवार्ड करने वाले निकाय को एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकतम 12 मूल्यांकन एजेंसियों (एए) और न्यूनतम 8 मूल्यांकन एजेंसियों को ऑन-बोर्ड करने का अधिकार दिया गया है। दिशा-निर्देश ने यह सुनिश्चित किया कि किसी अवार्ड करने वाले निकाय द्वारा ऑन-बोर्ड की गई मूल्यांकन एजेंसियों की कुल संख्या में से किसी ऑन-बोर्ड की गई मूल्यांकन एजेंसी को सौंपे गए कार्यों की अधिक से अधिक संख्या 25% (पच्चीस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी और किसी ऑन-बोर्ड की गई मूल्यांकन एजेंसी को सौंपे गए कार्यों की कम से कम संख्या एक वितीय वर्ष में अवार्ड करने वाले निकाय द्वारा सौंपे गए कार्यों की कुल संख्या का 8% (आठ प्रतिशत) से कम नहीं होगी ताकि मूल्यांकन एजेंसियां अपने निष्पादन के अनुसार कार्य करने का उचित अवसर प्राप्त कर सकें।

10.2 उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के दौरान कुछ अवार्ड करने वाले निकायों ने कार्यों को करते समय उनके सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों की सूचना दी है। इन कठिनाईयों के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय जैसे उन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में बैठकों के दौरान एमएसडीई

के साथ भी विचार-विमर्श किया गया था। जहां किए जाने वाले प्रशिक्षणों और कार्यों की संख्या काफी अधिक है। तदनुसार, कार्य-प्रणाली से सुझाव और इनपुट प्राप्त किए गए थे और विशेषज्ञों के साथ दिमाग खपाने के बाद उपर्युक्त व्यावहारिक कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए एनएसवीईटी में एक सुविचारित दृष्टिकोण लिया गया था। इस संबंध में प्रस्तावित संशोधन नीचे दिए गए हैं:

10.2.1 यदि किसी अवार्ड करने वाले निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या बढ़ जाती है अथवा किसी वित्तीय वर्ष में 2,00,000 (दो लाख) से अधिक होने की संभावना है तो दो लाख से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 20,000 कार्यों के लिए अवार्ड करने वाला निकाय एक अतिरिक्त एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी को ऑन-बोर्ड रख सकता है। यह केवल उस अवधि के लिए लागू होगा जिसके लिए यह मांग उठाई गई है।

10.2.2 तथापि, मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकाय इस प्रकार की आवश्यकता के साक्ष्य के साथ एक पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से एनसीवीईटी से अनुरोध करेंगे। यदि एनसीवीईटी इसे उपयुक्त नहीं पाता है तो वह किसी अन्य अतिरिक्त मूल्यांकन एजेंसी को शामिल करने के लिए अवार्ड करने वाले निकाय के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

10.2.3 इसके अतिरिक्त, जिस मूल्यांकन एजेंसी को पैन इंडिया मान्यता नहीं है वह उस विशिष्ट भौगोलिकता और क्षेत्र में मूल्यांकन के लिए 12 की परिभाषित अधिकतम संख्या पर अवार्ड करने वाले निकाय द्वारा ऑन-बोर्ड रखी जा सकती है जिसके लिए उन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया है।

10.3 अधिकतम 25% और कम से कम 8% के विद्यमान खंड को तदनुसार कानूनी सलाह के साथ परामर्श से संशोधित किया जाएगा और यदि प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है तो करार में जोड़ दिया जाएगा और इस संबंध में दिशा-निर्देश तदनुसार जारी किए जाएंगे।

परिषद् ने इसको नोट किया और उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया।

11. कार्यसूची मद सं.सी0911: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीआरएफ के तहत एनएसक्यूएफ शिक्षण के क्रेडिट/क्रेडिटिकरण अवार्ड करने के उद्देश्य से बहु-राष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) - ओरिजनल इक्यूपमेंट मैन्युफैक्चर्र (ओईएम)/ ओरिजनल डिजाइन मैन्युफैक्चर्र (ओडीएम)/वैल्यु एडेड रिसेलर (वीएआर)/अन्य उद्योग निकायों की अर्हताओं का एनएसक्यूएफ अनुरूपण तथा अनुमोदन।

11.1 परिषद् को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के आलोक में और एनसीआरएफ की अधिसूचना के आलोक में, जिसमें उस अत्यधिक कुशल कार्य-बल, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों रोजगार बाजारों के लिए तैयार किए जाते हैं, का एक पूल तैयार करने की रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के साथ शिक्षा, कौशलीकरण और उद्योग सहयोग पर जोर देती है, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल पहलों में उद्योग के महत्व के संबंध में एक सार प्रस्तुत किया गया था।

11.2 ओईएम और एमएनसी ने कई उद्योग इंटर्नशिप तथा एप्रिंटिशिप कार्यक्रम शुरु किए हैं, जैसा कि माननीय मंत्री, एसडीई द्वारा एआईसीटीई सम्मेलन में पिछले वर्ष आयोजित आईटीआई छात्रों के दीक्षांत समारोह के दौरान भी प्रदर्शित किया गया था। इस बात पर जोर दिया गया था कि सभी उद्योग इंटर्नशिप और एप्रिंटिशिप कार्यक्रम अनुरूप किए जाने और छात्रों, सीखने वालों तथा उद्योग के लाभ के लिए एनसीआरएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानों के अनुसार अनुरूप बनाए जाने और क्रेडिट किए जाने की की आवश्यकता है।

11.3 तदनुसार, एनसीवीईटी ने एमएनसी/ओईएम/ओडीएम/वीएआर/ अन्य उद्योग निकायों सहित उद्योग संगत और उद्योग संचालित प्रशिक्षणों/कौशल, इंटर्नशिप और एप्रिंटिशिप कार्यक्रमों को उनके द्वारा संचालित किए जा रहे कौशल कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) क्रेडिटिकरण के घेरे में लाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

11.4 एनसीवीईटी ने ऐसे प्रावधान किए हैं जिनमें निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन ओईएम/ओडीएम/वीएआर आदि, सहित कोई भी एमएनसी नीचे दिए गए किसी भी तरीके में एनएसक्यूसी अनुमोदन प्रक्रिया के माध्यम से एनएसक्यूएफ में अपनी अर्हताएं अनुरूप करने के लिए पात्र बन सकता है:

11.4.1 **एनएएसएससीओएम, सीडीएसी, एएसडीसी, आदि जैसी पहले से ही एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों के माध्यम से अनुरोपण** - एमएनसी/ओईएम/ओडीएम/वीएआर/ अन्य उद्योग निकाय उस अवार्ड करने वाले निकाय के माध्यम से एनएसक्यूएफ के अनुरूप होने के लिए अर्हताएं प्रस्तुत कर सकते हैं जो पहले से ही उस क्षेत्र में एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त है।

11.4.2 **उद्योग अर्हताओं के रूप में एनएसक्यूएफ के अनुरूप होना**- एमएनसी/ओईएम/ओडीएम/वीएआर/ अन्य उद्योग निकाय या तो अवार्ड करने वाले निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त किए बिना अथवा पहले से ही मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकाय के माध्यम से प्रस्तुत किए बिना एक प्रतिष्ठित उद्योग की क्षमता में एनसीवीईटी को अपनी अर्हताएं प्रस्तुत करने का विकल्प ले सकती हैं।

11.4.3 **मूल्यांकन एजेंसी के रूप में एनसीवीईटी की मान्यता -** ओईएम सहित कोई एमएनसी मूल्यांकन एजेंसी के रूप में एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त कर सकती है। इससे एमएनसी, विशेष रूप से ओईएम अपनी विश्व स्तरीय मूल्यांकन तंत्र मंचों के अनुरूप होने में सक्षम हो सकता है और वैश्विक रूप से एनएसक्यूएफ और सरकारी विनियमों के साथ प्रमाणनों के लिए प्रतिष्ठित हो सकता है। एक बार मूल्यांकन एजेंसी के रूप में अनुमोदित होने पर वह एमएनसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी अर्हताएं पहले से ही किसी मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकाय द्वारा प्रस्तुत की गई है अथवा उद्योग अर्हताओं के रूप में एनसीवीईटी को प्रस्तुत की गई हैं और वह एमएनसी मूल्यांकनों के लिए अवार्ड करने वाले निकाय द्वारा ऑन-बोर्ड की गई है।

11.4.4 **अवार्ड करने वाले निकाय के रूप में एनसीवीईटी की मान्यता (मानक अथवा दोहरी श्रेणी) -** चूंकि कोई मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाला निकाय एनएसक्यूएफ के अनुरूप होने के लिए अर्हताएं प्रस्तुत कर सकता है, अत: एमएनसी/ओईएम/ओडीएम/वीएआर/ अन्य उद्योग निकाय अवार्ड करने वाले निकाय की हैसियत से एनएसक्यूएफ को अन्य अपनी अर्हताओं के अनुरूप होने के लिए एनसीवीईटी की मान्यता की मांग कर सकते हैं, प्रशिक्षण लागू कर सकते हैं, एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं और एनसीवीईटी लोगो, तथा अपने निजी नाम और एनसीवीईटी दिशा-निर्देशों के अनुसार लोगो के साथ एनसीवीईटी प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं।

11.5 अवार्ड करने वाले निकाय के रूप में मान्यता के लिए एमएनसी/ओईएम/ओडीएम/वीएआर/ अन्य उद्योग निकायों के लिए दो श्रेणियां हो सकती है।

11.5.1 **अवार्ड करने वाले निकाय के रूप में (मानक श्रेणी):** इस श्रेणी के तहत एमएनसी/ओईएम/ओडीएम/वीएआर/ अन्य उद्योग निकाय एनएसक्यूएफ में अपनी अर्हताओं को अनुरूप करते हैं, या तो सीधे ही या तीसरे पक्षकार प्रशिक्षण भागीदारी के माध्यम से सीखने वालों का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं और एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी के माध्यम से सीखने वालों का सफल मूल्यांकन के बाद प्रमाण-पत्र जारी करते हैं।

11.5.2 **अवार्ड करने वाले निकाय के रूप में (दोहरी श्रेणी):** इस श्रेणी के तहत एमएनसी/ओईएम/ओडीएम/वीएआर/ अन्य उद्योग निकाय एनएसक्यूएफ में अपनी अर्हताओं को अनुरूप करते हैं, या तो सीधे ही या तीसरे पक्षकार प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से सीखने वालों का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं और एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी के

माध्यम से सीखने वालों का मूल्यांकन आयोजित करते हैं और सीखने वालों के सफल मूल्यांकन के बाद प्रमाण-पत्र जारी करते हैं।

11.6 इस श्रेणी के तहत एमएनसी/ओईएम/ओडीएम/वीएआर/ अन्य उद्योग निकाय की अर्हताएं वैकल्पिक होंगी और विनियामकों/एचईआई/संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली किसी उपाधि, डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र के लिए अधिदेशित नहीं होगी।

11.7 दिशा निर्देश सार्वजनिक परामर्श के लिए परिचालित कर दिए गए हैं और प्राप्त टिप्पणियों को शामिल किया जा रहा है। फिर दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा और अधिसूचित किए जाएंगे।

परिषद् ने इस टिप्पणी के साथ ओईएम दिशा-निर्देशों का सिद्धांत रूप में अनुमोदन दिया कि हितधारकों से टिप्पणियों/विचारों पर ओईएम दिशा-निर्देशों में शामिल किए जाने के लिए विचार किया जाए। अंतिम रूप से अधिसूचित दिशा-निर्देशों को अनुसमर्थन के लिए परिषद् के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा।

12. कार्यसूची मद सं.सी0912: स्नातक तथा स्नाकोत्तर कार्यक्रमों के तहत एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताएं/पाठ्यक्रम पेश करने के उद्देश्य से एनसीवीईटी के मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों के रूप में चुने गए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्राप्त करना, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा एनसीआरएफ के तहत उसके लिए क्रेडिट और प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा प्रदान करना।

12.1. परिषद् को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में शामिल किए गए पूर्ण विज़न तथा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत सार प्रदान किया गया था। यह विजन नीति फ्रेमवर्क अधिक व्यापक और प्रभावपूर्ण शिक्षा प्रणाली का सृजन करने की बात स्पष्ट करता है।

12.2 व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण का उच्च शिक्षा में एकीकरण प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं को लागू करने के लिए सक्षम बनाना आवश्यक

है, जिसके लिए संबंधित शिक्षा संस्थाओं को एनसीवीईटी के मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकाय का स्तर दिए जाने की आवश्यकता है। तथापि, चूंकि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थाएं पहले से ही केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की संविधि के तहत पहले से ही अनुमोदित संस्थाएं हैं, अत: उनमें से अधिकतर में अवार्ड करने वाले निकाय (एबी) बनने के लिए अपेक्षित मूलभूत भौतिक, शैक्षणिक और अभिशासन संरचना तथा सांविदिक फ्रेमवर्क है। उन्हें केवल प्रभावी रूप से एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं को लागू करने के लिए अर्हता विशिष्ट अवसंरचना, कुशल अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। अत:, उन्हें मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकाय बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता है न कि विस्तृत मान्यता की प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने की।

12.3 तद्नुसार, अत: विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) की मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों के रूप में चुनी हुई श्रेणियां बनाने के विचार पर सरकार द्वारा गठित एचएलसी में विचार किया गया था ताकि कौशलीकरण को विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा में एकीकृत करने वाले राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को कार्यान्वित किया जा सके जिसकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और एचएलसी के अन्य सदस्यों ने भी सराहना की थी।

12.4 तद्नुसार, परिषद् को यह भी प्रस्ताव किया गया था कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) की विभिन्न श्रेणियों को एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं/पाठ्यक्रमों के विकास, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए एनसीवीईटी के दिशा-निर्देशों के पालन के अध्यधीन मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों का स्तर प्रदान किया जाए। पहले चरण में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं की निम्नलिखित श्रेणियों को मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों का स्तर प्रदान किया जाए:

12.4.1 आईआईटी,एनआईटी,एनआईडी,आईआईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर सहित सभी आईएनआई, जो संसद के अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा प्रमुख सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं।

12.4.2 सभी विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थाएं जिनके लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति विजिटर हैं, अथवा माननीय भारत के उप-राष्ट्रपति कुलपति हैं।

12.4.3 केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय।

12.4.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त/अधिसूचित संस्थाओं पर भी मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकायों के स्तर के लिए विचार किया जा सकता है। तथापि, एनसीवीईटी प्रत्येक मामले के औचित्य पर मान्यता प्राप्त अवार्ड करने वाले निकाय(दोहरी श्रेणी) का यह स्तर प्रदान करने के लिए अंतिम विचार हेतु अधिकार रख सकता है। इस संबंध में कोई भी मानदंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एआईसीटीई से इनपुट पर निर्धारित किए जाएंगे।

12.5 शेष उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए उन्हें अवार्ड करने वलो निकायों का स्तर प्रदान करने के लिए एनसीवीईटी द्वारा एक सरल प्रक्रिया तैयार की जाए।

परिषद् ने प्रस्तावित कार्यसूची पर अनुमोदन प्रदान किया और उप-समिति(अध्यक्ष तथा दो कार्यकारी सदस्यों) जिन्हें पहले ही मान्यता प्राप्त करने के लिए परिषद् द्वारा अधिकृत किया गया है, को उसके औचित्य के आधार पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय पर विचार करने के लिए प्राधिकृत किया।

13. कार्यसूची मद सं.सी0913: विद्यमान अवार्ड करने वाले निकायों और मूल्यांकनकर्ता एजेंसी के दिशा-निर्देशों में उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीआरएफ के अनुरूप होने के लिए संशोधन करना

13.1. परिषद् को अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी विद्यमान अवार्ड करने वाले निकाय और मूल्यांकन एजेंसी के दिशा-निर्देशों में व्यापक संशोधन करने की प्रक्रिया में है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के कार्यान्वयन और यह सुनिश्चित करने के लिए कौशल पारी-प्रणाली के अन्तर्गत हितधारकों से प्राप्त इनपुट के कारण आवश्यक हो गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्रभावी और सक्षम कंपनियों को ही अवार्ड करने वाले निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

13.2. दिशा-निर्देशों का प्रारूप परिषद् के सदस्यों के साथ उनके मूल्यवान इनपुट के लिए साझा किए जाएंगे। आरंभिक हितधारकों के परामर्श पूरे हो जाने पर ये दिशा निर्देश जनता के परामर्श के लिए रखे जाएंगे। दिशा निर्देशों का अंतिम प्रारूप अनुमोदन/अनुसमर्थन के लिए परिषद् के समक्ष लाया जाएगा।

परिषद् ने संतुष्ट होने के साथ इसे नोट किया।

14. कार्यसूची मद सं.सी0914: पुन: सुधारी गई एनसीवीईटी वेबसाइट और एनक्यूआर पोर्टल पर स्तर का उन्नयन।

14.1 एनक्यूआर पोर्टल अद्यतन: परिषद् को अवगत कराया गया था कि एनक्यूआर पोर्टल का डेटा वर्जन यूआई/यूएक्स वृद्धियों के साथ सक्रिय कर दिया गया है। इस पोर्टल ने कौशल कार्य-प्रणाली में सीखने वालों, प्रशिक्षण केन्द्रों और ऐसी सभी कंपनियों के लिए अर्हता हेतु खोज मानदंडों में सुधार किया है। सभी विद्यमान आंकड़ों का समकालीकरण और उसके बाद देखे और महसूस करें मानदंडों का सुधार। आगे सुधार पर अब भी कार्य किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया दिनांक 15 सितंबर, 2023 तक पूरी कर दी जाएगी।

14.2 एनसीवीईटी वेबसाइट: परिषद् को सूचित किया गया था कि वेबसाइट का अपग्रेडेड वर्जन स्टेजिंग सर्वर से उत्पादन सर्वर में ले जाया गया है और सभी अद्यतन नीतियां तथा दिशा-निर्देश जनता की पहुंच के लिए वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।

परिषद् को यूआई वृद्धियों के संबंध में सूचित किया गया था और यह कि आगे वेबसाइट के और सुधार प्रगति पर हैं।

परिषद् ने इसे नोट किया और अनुदेश दिया कि सभी अवार्ड करने वाल निकायों को एनक्यूआर पोर्टल पर सूचना अपग्रेड करने के लिए आसान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु इस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए सूचित किया जाए।

15. कार्यसूची मद सं.सी0915: डिजिटल इंटरप्राइज पोर्टल की स्थिति - जीईएम के माध्यम से विस्तृत आरएफपी प्रक्रिया के बाद एच1 बोलीदाता को अंतिम रूप देना और अनुमोदित करना

15.1. परिषद् के सदस्यों को निम्नलिखित रूप में वर्तमान स्थिति सहित डिजिटल इंटरप्राइज पोर्टल की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रदान किया गया था:

15.1.1 दिनांक 20 मार्च, 2023 को आयोजित परिषद् की आठवीं बैठक में मैसर्स डिलोइट टच तोहमतसु द्वारा तैयार आरएफपी दस्तावेज ई-जीईएम पर अपलोड करने और आगे प्रक्रिया के लिए एनसीवीईटी के लिए डिजिटल इंटरप्राइज पोर्टल को तैयार करने, उसके कार्यान्वयन और रखरखाव हेतु सिस्टम इंटरग्रेटर के चयन हेतु अनुमोदित किया गया था।

15.1.2 परिषद् ने वास्तविक कीमत खोज के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से वित्तीय बोली सहित प्रतिस्पर्धी बोलियां प्राप्त करने के लिए जीईएम पोर्टल पर प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) अपलोड करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए निर्णय दिया था। उसके बाद सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से प्राप्त बोलियां का क्यूसीबीएस पद्धति अपनाकर एच1 बोलीदाता के चयन के लिए आरएफपी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन किया जाए और एच1 बोलीदाता को संविदा प्रदान किए जाने से पूर्व पुन: परिषद् के अनुमोदन की मांग की जाएगी।

15.1.3 तदनुसार, संदर्भ संख्या जीईएम/2023/बी/3299991 के माध्यम से दिनांक 23 मार्च, 2023 को जीईएम पर आरएफपी अपलोड किया गया था। बोलियों के मूल्यांकन के लिए दिनांक 18 मई, 2023 के आयोजन आदेश संख्या सं. एफ.सं. 34002/1/2022/एनसीवीईटी के माध्यम से एक तकनीकी मूल्यांकन समिति गठित की गई थी। उसके बाद बोली समिति द्वारा दिनांक 19 मई, 2023 को खोली गई थी और उपर्युक्त परियोजना के लिए कुल 5 बोलीदाताओं ने अपनी बोली प्रस्तुत की थी। इसी के अनुसरण में, तकनीकी विशेषज्ञों सहित आंतरिक और बाह्य सदस्यों से युक्त तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा विस्तृत जांच की गई थी। गठित की गई तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की सूची **अनुबंध-VIII** के रूप में संलग्न है।

15.1.4 अर्हता पूर्व मानदंडों के आधार पर समिति ने एक बोलीदाता मैसर्स शॉप स्काई स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड को अर्हता पूर्व स्तर पर अपात्र पाया।

15.1.5 शेष 04 पात्र बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के बाद प्रस्तावित समाधानों के संबंध में प्रस्तुति तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2023 को की गई थी। विशेषज्ञों के इनपुट/सुझावों पर मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान ध्यान दिया गया था।

15.2. आरएफपी में उल्लिखित तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार 04 अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को अंक प्रदान किए जाने के बाद तकनीकी मूल्यांकन समिति ने 'फाइल पर' डिजिटल इंटरप्राइज पोर्टल के कार्यकारी सदस्य-प्रभारी, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया था और दिनांक 9 अगस्त, 2023 को जीईएम पोर्टल पर तकनीकी अंक अपलोड किए थे।

15.3. तकनीकी मूल्यांकन समिति ने प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 11 अगस्त 2023 को वित्तीय बोली को खोला और एच1 बोलीदाता को क्यूसीबीएस प्रक्रिया के आधार पर जीईएम द्वारा घोषित किया गया था जिसमें मैसर्स टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेस (टीसीएस) को एच1 बोलीदाता घोषित किया गया है।

15.4 परिषद् को घोषित एच1 बोलीदाता मैसर्स टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेस (टीसीएस) सहित सभी बोलीदाताओं द्वारा खर्च का विस्तृत विवरण प्रदान किया गया था। इसमें परिवर्तन प्रबंधन लागत (20 मानव-महीनों के लिए) के साथ 05 निरंतर रखरखाव वर्षों में पूंजीगत व्यय (साफ्टवेयर विकास लागत, साफ्टवेयर लाइसेंस लागत, क्लाउड प्रबंधन लागत, प्रशिक्षण लागत, परिवर्तन प्रबंधन कार्यशाला) और प्रचालनात्मक व्यय (साफ्टवेयर वारंटी, सहायता एवं रखरखाव लागत, पुनश्चर्या प्रशिक्षण लागत, क्लाउड प्रबंधन लागत, कार्मिक सहायता लागत - परियेाजना की पूरी अवधि के लिए पीएमयू), कार्मिक सहायता स्टाफ, सहायक डेस्क स्टाफ और परिवर्तन प्रबंधन लागत (20 मानव-माह के लिए) शामिल थी।

15.5 परिषद् को अतिरिक्त अनुमानित डीईपी परियोजना लागत का विवरण भी दिया गया था जो भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार 5 वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय(क्लाउड अवसंरचना लागत), प्रचालनात्मक व्यय (5 वर्षों में वितरित), स्कैन, सुरक्षा और पहुंच जांच से युक्त वाणिज्यिक बोली के तहत शामिल नहीं है।

15.6 उपर्युक्त 15.4 और 15.5 में उल्लेख किए गए अनुसार परियेाजना में कुल व्यय 15.5 करोड़ रु. का होगा और 10% के अंतर की अनुमति है जो 5 निरंतर रखरखाव वर्षों में पूंजीगत व्यय और प्रचालनात्मक व्यय पर किया जाएगा। व्यय का विस्तृत विवरण परिषद् के सदस्यों को प्रस्तुत किया गया था और वह परियोजना की फाइल में संलग्न किया गया है।

15.7 परिषद् को यह भी अवगत कराया गया था कि वित्तीय बोली खोलने के बाद टीसीएस ने लेमिनेशन ऑफ लायबलिटी, स्रोस कोड कॉपीराइट्स इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स और इंडेमनिटी लायबलिटी और रिस्क परचेज के संबंध में विचलनों की मांग करते हुए दिनांक 15 अगस्त, 2023 के ई-मेल के माध्यम से कुछ कानूनी टिप्पणियां सूचित की हैं।

15.8 **परिषद् ने पैरा 15.8 में उल्लिखित किए गए अनुसार परियोजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया** क्योंकि अनुमानित व्यय परिषद् की वित्तीय

शक्तियों के अन्तर्गत है। परिषद् ने अपेक्षित बजट के आबंटन संस्वीकृति के लिए मंत्रालय को परियोजना हेतु निधियों की वर्ष-वार आवश्यकताएं भेजने का भी निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, परिषद् ने यह भी निर्णय दिया कि आरएफपी से कोई विचलन इस देरी के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि टीसीएस विचलन के संबंध में कोई टिप्पणी देना चाहता था तो उसे बोली पूर्व पूछताछ के स्तर के दौरान जीईएम में दर्शाया जाना चाहिए था, जिसका पालन मैसर्स टीसीएस द्वारा नहीं किया गया है। परिषद् ने सलाह दी कि यदि टीसीएस इस निर्णय से सहमत नहीं है और विचलन के लिए अपने अनुरोध को वापस नहीं लेता है तो इस विषय पर तकनीकी सलाह आगे की जाने वाली कार्रवाई के लिए एनसीवीईटी के कानूनी सलाहकार और एमईआईटीवाई से ली जाएगी।

16. कार्यसूची मद सं.सी0916: भारतीय कौशल पारि-प्रणाली की विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने वाले एनसीवीईटी प्रमाण-पत्र टैम्पलेटों का मानकीकरण - उनका अनुसमर्थन।

16.1 परिषद् को अवगत कराया गया था कि दिनांक 17 नवंबर, 2022 और 31 जनवरी, 2023 को आयोजित की गई एनएसक्यूसी की क्रमश: 24वीं और 26वीं बैठक में विभिन्न कौशलीकरण अपेक्षाओं को पूरा करने वाले कुल 12 प्रमाण-पत्र टेम्पलेटों को एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। उसके बाद, कौशल कार्यप्रणाली से अनुरोध प्राप्त हुए थे कि इन 12 टेम्पलेटों को छात्रों और सीखने वालों के लिए और अधिक अनुकूल और संगत बनाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कौशलों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए छह (06) टेम्पलेट डिजाइन किए जाने के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुआ था।

16.2 तद्नुसार, पूर्व में अनुमोदित प्रमाण-पत्र टेम्पलेटों में आवश्यक संपादकीय संशोधन कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित छह (06) नए प्रमाण-पत्र टेम्पलेट **(अनुबंध-VIII के रूप में संलग्न)** हितधारकों से परामर्श करके डिजाइन कर दिए गए हैं। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

16.2.1. एनओएस

16.2.2. माइक्रो क्रेडिंशिएल्स

16.2.3. स्कूल बोर्ड

16.2.4. अपस्किलिंग

16.2.5. रिस्किलिंग

16.2.6. अपस्किलिंग के साथ पूर्व शिक्षण की मान्यता

परिषद् ने संतोष के साथ उपर्युक्त को नोट किया और उसका अनुमोदन किया।

17. कार्यसूची मद सं. सी0917: एनसीवीईटी से संबंधित प्रशासनिक और वित्तीय मामले

17.1 एनसीवीईटी का वार्षिक लेखा 2022-23 मंत्रालय को आगे प्रस्तुत किए जाने के लिए परिषद् के अवलोकन और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था।

परिषद् ने एमएसडीई को आगे प्रस्तुत किए जाने के लिए वार्षिक लेखा 2022-23 को अनुमोदन प्रदान किया।

17.2 एनसीवीईटी के लिए एक स्थाई वित्तीय समिति (एसएफसी) के गठन के लिए एक प्रस्ताव परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार गठित स्थाई वित्त समिति वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर परिषद् को मार्गदर्शन प्रदान करेगी और सिफारिशें करेगी। **यह समिति एनसीवीईटी के वार्षिक लेखे/वार्षिक वित्तीय विवरण की जांच करेगी और प्रमाणन लेखा-परीक्षा के लिए सीएजी को प्रस्तुत किए जाने हेतु एनसीवीईटी के लेखा परीक्षा न किए गए लेखों के संबंध में सलाह देगी।** एनसीवीईटी के लिए स्थाई वित्त समिति के प्रस्तावित समिति सदस्य निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	नाम	सदस्य
1.	वित्तीय सलाहकार, एमएसडीई, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	मुख्य लेखा नियंत्रक, एमएसडीई	सदस्य
3.	निदेशक, एनसीवीईटी	सदस्य
4.	निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) एनसीवीईटी	सदस्य

5.	उप निदेशक (वित्त) एनसीवीईटी	सदस्य-सचिव

परिषद् ने एनसीवीईटी के वार्षिक लेखों/वार्षिक वित्तीय विवरण की जांच करने और उस पर सलाह देने तथा एनसीवीईटी के लेखा परीक्षा न किए गए लेखाओं को अनुमोदित करने के लिए स्थाई वित्तीय समिति के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

17.3. एनसीवीईटी को किराए पर लिए गए कार्यालय परिसर करोल बाग से उसके कौशल भवन, चाणक्यपुरी में अपने निजी भवन में स्थानांतरित करना:

परिषद् को अवगत कराया गया था कि एमएसडीई(भारत सरकार) के निर्णय के अनुसार एनसीवीईटी के कार्यालय को करोल बाग से उसके अपने स्थाई परिसर कौशल भवन, चाणक्यपुरी, न्यू मोती बाग में दिनांक 1 जून, 2023 को स्थानांतरित कर दिया गया है और तद्नुसार सरकारी पता बदल गया है तथा वह नीचे दिया गया है:

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी)
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
चौथी मंजिल, कौशल भवन
अफ्रीका एवेन्यू, डिप्लोमेटिक एनक्लेव,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110023

परिषद् ने इसे संतोष के साथ नोट किया और प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया।

17.4 परामर्शदाता ग्रेड-I के चयन के दौरान आयु सीमा में थोड़ी सी छूट (4 दिन की) प्रदान करना।

17.4.1 परिषद् को अवगत कराया गया था कि परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए विद्यमान नीति के अनुसार परामर्शदाता ग्रेड-I की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। दिनांक 21 फरवरी, 2023 के विज्ञापन सं.11001/11/2022-एनसीवीईटी के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच

करते समय जांच समिति ने एक आवेदक को '04 दिन तक अधिक आयु' के रूप में पाया।

17.4.2 इस मामले में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को परामर्शदाता निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत थी। इसके अतिरिक्त, उसने परामर्शदाता ग्रेड II के लिए आवेदन किया था और उसे प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। इसके बाद, जब उसने परामर्शदाता ग्रेड-I के पद के लिए आवेदन किया तो कौशल पारि-प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में उसके व्यापक अनुभव और पूर्व में एनएसडीसी में उसके कार्य अनुभव को भी देखते हुए उसे साक्षात्कार में बैठने के लिए 4 दिन की छूट प्रदान की गई थी और उसका समिति द्वारा चयन किया गया था।

समिति ने उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया।

17.5. वरिष्ठ परामर्शदाता के स्थान पर परामर्शदाता ग्रेड II की नियुक्ति

17.5.1 परिषद् को अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी ने, एनसीवीईटी में वरिष्ठ परामर्शदाता के एक पद के लिए दिनांक 21 फरवरी, 2023 का एक विज्ञापन सं.11003/01/2023-एनसीवीईटी प्रकाशित किया था। जिन 09 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनमें से कोई भी वरिष्ठ परामर्शदाता के पद के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सका।

17.5.2 तथापि, आवेदक की सहमति से चयन समिति ने परामर्शदाता ग्रेड-II का पद उसके प्रोफाइल (आईआईटीबी, आईआईएमएल) और समृद्ध कार्य अनुभव पर विचार करते हुए एक आवेदक को प्रस्ताव देने की सिफारिश की। आवेदक ने वरिष्ठ परामर्शदाता पद के विरुद्ध वरिष्ठ परामर्शदाता के बजाए परामर्शदाता ग्रेड-II (विज्ञापित पद से नीचे का पद) के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया है।

परिषद् ने इस पर विचार किया है और वरिष्ठ परामर्शदाता के स्थान पर परामर्शदाता ग्रेड-II के चयन का अनुसमर्थन किया है।

17.6 अवर सचिव/उप सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के स्थान पर अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव के स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति

17.6.1 परिषद् को अवगत कराया गया था कि दिनांक 13 जुलाई, 2023 को आयोजित परिषद् की छठी बैठक में अवर सचिव/उप सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर पर एक अतिरिक्त परामर्शदाता (सेवानिवृत सरकारी अधिकारी) नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया गया था।

17.6.2 तदनुसार, एनसीवीईटी ने दिनांक 27.10.2022 के विज्ञापन सं.11001/24/2022/एनसीवीईटी/1265 के माध्यम से सेवानिवृत सरकारी सेवकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए थे। इसी बीच पहले से ही परामर्शदाता (प्रशासन) के रूप में एक सेवानिवृत सरकारी अधिकारी ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। चूंकि उसकी संविदा सरकारी दिशा-निर्देशों के कारण बढ़ाई नहीं जा सकती थी, अत: दो (02) (सेवानिवृत सरकारी अधिकारी) परामर्शदाता, जो निदेशक(पीबी-13) के स्तर पर सेवानिवृत हुए थे, नियुक्त किए गए थे। बाद में, निदेशक के स्तर के एक परामर्शदाता ने एनसीवीईटी से त्यागपत्र दे दिया और प्रतीक्षा सूची में रखे गए अभ्यर्थी ने उसे कार्य-ग्रहण करने की पेशकश दिए जाने के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया।

17.6.3 इस प्रकार, एनसीवीईटी की वर्तमान कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक रिक्ति एनसीवीईटी की वेबसाइट पर अवर सचिव/उप सचिव स्तर के अधिकारियों के स्थान पर अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी में से एक परामर्शदाता नियुक्त करने के लिए दिनांक 03 जुलाई, 2023 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

परिषद् ने परिषद् द्वारा अवर सचिव/उप सचिव के स्तर के स्थान पर अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी के स्तर पर एक परामर्शदाता (सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी) नियुक्त किए जाने का अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुसमर्थन किया।

17.7 एनसीवीईटी में कानूनी सलाहकार की नियुक्ति

17.7.1 **परिषद्** को अवगत कराया गया था कि रिटेनरशिप शुल्क आधार के बिना प्रशासनिक और तकनीकी मामलों, कानूनी दस्तावेजों का प्रारूप तैयार करने, याचिकाओं, अपीलों, उत्तरों आदि की विधीक्षा करने आदि के संबंध में कानूनी सलाह देने के लिए जिला न्यायालयों/न्यायिक निकायों के समक्षा एनसीवीईटी और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एनसीवीईटी में कानूनी सलाहकारों का पैनल बनाने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

17.7.2 प्राप्त हुए 107 आवेदन-पत्रों की विस्तृत जांच के बाद 11 आवेदक विज्ञापन में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार उपयुक्त और पात्र पाए गए थे और विज्ञापन में निहित निबंधनों और शर्तों के अनुसार पैनल में रखे गए थे।

17.7.3 पैनल पत्र सभी 11 पात्र कानूनी सलाहकारों से स्वीकृति प्राप्त होने पर जारी कर दिया गया है और मामले एनसीवीईटी द्वारा आबंटित किए जाएंगे।

17.7.4 परिषद् ने विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर पर एनसीवीईटी में कानूनी सलाहकार के पैनल का अनुसमर्थन किया।

18. कार्यसूची मद सं. सी0918: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई कार्य-सूची

18.1 एनएसक्यूसी सदस्यों के रूप में एक वर्ष की अवधि अर्थात अगस्त, 2023-24 के लिए राज्य सरकारों/उद्योग एसोसिएशनों का नामांकन

18.1.1 एनसीवीईटी में आश्रित एनएसक्यूसी, एनएसक्यूएफ के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष निकाय है और चुनिंदा केन्द्रीय मंत्रालयों, शिक्षा और कौशलीकरण के विनियामक निकायों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एआईसीटीई, डीजीटी, सीबीएसई, चुनिंदा एसएसडीएम और उद्योग एसोसिएशनों से प्रतिनिधियों(एक वर्ष की अवधि के लिए बारी से) से युक्त 19 सदस्य हैं।

18.1.2 तदनुसार, विगत नामांकनों को ध्यान में रखते हुए तीन (03) राज्य/संघ क्षेत्रों अर्थात महाराष्ट्र, उत्तराखंड और सिक्किम दो (02) उद्योग एसोसिएशन अर्थात फिक्की, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अगस्त, 2023 से अगस्त 24 तक की अवधि के लिए एनएसक्यूसी के सदस्यों के रूप में प्रस्तावित किए गए थे। पूर्व वर्ष के सदस्य और प्रस्तावित सदस्य की स्थिति नीचे दी गई है:

विद्यमान राज्य और उद्योग एसोसिएशन के सदस्य (जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक की अवधि)		**नए सदस्य राज्य और उद्योग एसोसिएशन सदस्य (अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक की अवधि)**	
राज्य	**उद्योग एसोसिएशन**	**राज्य**	**उद्योग एसोसिएशन**
उत्तर प्रदेश	ऐसोचैम	महाराष्ट्र	पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स
गोआ	लघु उद्योग भारती लिमिटेड	उत्तराखंड	फिक्की
जम्मू तथा काश्मीर		सिक्किम	

परिषद् ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। परिषद् ने यह भी सुझाव दिया कि नामित दो बड़ी उद्योग एसोसिएशनों के अलावा, एमएसएमई उद्योग/क्षेत्र में कार्य कर रहे एक छोटे निकाय के संबंध में भी एनएसक्यूसी बैठकों के लिए आमंत्रित सदस्य के रूप में विचार किया जाए। यह निर्णय लिया गया था कि एमएसडीई, एमएसएमई के साथ कार्य कर रही उद्योग एसोसिएशन के 2-3 नामों का सुझाव दे और इनमें से एक को एनएसक्यूसी बैठकों के लिए प्रतिमाह आमंत्रित किया जा सकता है।

19. कार्यसूची मद सं. सी0919: एनसीवीईटी के सुगम कार्यचालन के लिए अतिरिक्त मल्टी टास्किंग स्टाफ(एमटीएस) लेना

19.1 अध्यक्ष ने अपने निष्कर्ष स्वरूप टिप्पणी में उल्लेख किया कि एनसीवीईटी कार्यालय, कौशल भवन में लगभग सभी रिक्त पदों को भरने पर विचार करते हुए 08(आठ) मल्टी टास्किंग स्टाफ(एमटीएस) की वर्तमान संख्या से कार्य करना, विशेष रूप से साथ-साथ हो रही बैठकों और वास्तविक पद्धति में हितधारक परामर्शों की भारी संख्या से निपटने के लिए प्रशासन को सहायता देना प्रचालनात्मक रूप से कठिन हो गया है। किसी समय एनसीवीईटी में भौतिक एवं वर्चुअल बैठक, दोनों 6-8 बैठकें आयोजित की जा रही हैं और आगंतुकों की भी भारी संख्या होती है जो एनसीवीईटी में आते हैं, और जिन्हें एमटीएस द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी/अधिकारी, केबिनों, बैठक कक्षों में पहुंचाया जाना होता है। इन नेमी कार्यों के अलावा, एमटीएस कई अन्य क्रियाकलापों में शामिल होते हैं, यथा - बैंक में लेन-देन, डाक इकट्ठी करना और भेजना, प्रिंटिंग मंत्रालयों और अन्य सरकारी कार्यालयों में जाना, अधिकारियों को उनके दिन प्रतिदिन के कार्य में सहायता देना आदि। अधिकतर प्रभाग भी एमटीएस सहायता के लिए अनुरोध करते आए हैं, विशेष रूप से जब कोई एमटीएस डाक ड्यूटी अथवा छुट्टी पर हो।

19.2 उन्होंने प्रशासन के आसान और दक्ष संचालन के लिए अपेक्षित एमटीएस की संख्या की आवश्यकता का विश्लेषण करने के लिए और एक एमटीएस लेने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए प्रशासन को सलाह दी।

परिषद् के सदस्यों ने अध्यक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर सहमति दी और उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

20. कार्यसूची मद सं. सी0920: वाईपी/परामर्शदाता ग्रेड-I/परामर्शदाता ग्रेड-II और वरिष्ठ परामर्शदाता के मामले में लिए गए परामर्शदाताओं की बॉड की अवधि वर्तमान दो माह से कम करके एक माह करने का प्रस्ताव

20.1.1 परिषद् के सचिव ने बताया कि दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को आयोजित परिषद् की सातवीं बैठक में परिषद् को वाईपी/परामर्शदाता के रूप में आरंभिक नियुक्ति पर व्यक्तियों के साथ एक वर्ष के लिए सेवा बॉड हस्ताक्षरित किए जाने के संबंध में सूचित किया गया था। परिषद् के सचिव ने परिषद् को अवगत कराया कि प्रचलन

में वर्तमान नीति के अनुसार युवा व्यावसायिकों/परामर्शदाता ग्रेड-I/II और वरिष्ठ परामर्शदाताओं को एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए एनसीवीईटी में कार्य करने के लिए सेवा बॉड करने की आवश्यकता होती है। एक वर्ष की निर्धारित अवधि से पूर्व एनसीवीईटी से सेवाओं से उसके स्वैच्छिक त्याग-पत्र की स्थिति में उस व्यक्ति को व्यक्तिगत संविदा की दो माह की परिलब्धि/शुल्क के बराबर परि-समाप्त क्षतियों का भुगतान करना होता है।

20.1.2 इसके अतिरिक्त, परिषद् के सचिव ने बताया कि एक परामर्शदाता ग्रेड II से अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसने निर्धारित अवधि से पूर्व एनसीवीईटी छोड़ दिया था और व्यक्तिगत संविदा के 02 माह की परिलब्धि/शुल्क के बराबर परि-समाप्त क्षतियों का भुगतान कर दिया था, उसने उस राशि को माफ किए जाने का अनुरोध किया था।

20.1.3 तदनुसार, यह मामला विचारार्थ समिति के समक्ष रखा गया था। यह प्रस्ताव किया गया था कि विद्यमान दो माह के वेतन की परि-समाप्त क्षतियों को एनसीवीईटी वाईपी/परामर्शदाता ग्रेड-I/परामर्शदाता ग्रेड-II और वरिष्ठ परामर्शदाता की व्यक्तिगत संविदा में कम करके एक माह की वेतन परि-समाप्त क्षतियां की जाएं।

परिषद् का यह मत था कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इस विषय पर यथा-स्थिति बनाए रखी जाए जिसके बाद इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक का समापन हुआ।

****

Annexure I

Name of Member	Designation	Remarks
1. Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi	Chairperson, NCVET	Attended Physically
2. Dr. Vinita Aggarwal	Executive Member, NCVET	Attended Physically
3. Dr. Neena Pahuja	Executive Member, NCVET	Attended Physically
4. Shri. Nilambuj Sharan	Senior EA, MSDE, & Nominated Member, NCVET	Attended Physically
5. Col Santosh Kumar	Director, NCVET & Secretary to the Council	(in attendance)
6. Lt. Col Gunjan Chowdhary	Director, NCVET	(in attendance)
7. Dr. Suhas Deshmukh	Director, NCVET	(in attendance)
8. Sh Purnendu Kant	Director, NCVET	(in attendance)

Status of progress on Various NCVET Guidelines

Sl. No.	Name of Guideline	Draft Guidelines Status	Stakeholder Consultation/ Comments from MSDE/ Ministry	NSQC/ NCVET Council approval (as per applicability)	Public Consultation	Notification of Guidelines/ Approval from NSQC/ NCVET approval	Concern Officials/ Consultant	Remarks
1.	Policy & Guidelines: NSQF, Level Descriptors, Standarization, updation	Done	Done	Done	Done	Notified on 6th June 2023	Sarika	Notified
2.	Guidelines: Adoption of Qualifications, NOSs, MCs	Done	Done	Done	Done	Notified on 22/02/2023	Shourya	Notified
3.	Guidelines: Blended Learning	Done	Done	Done	Done	Notified on 13 July 2022	Amit/ Amresh	Notified
4.	Guidelines On Grievance Redressal Mechanism	Done	Stakeholder consultation Done	-----	--------	Notified on Feb 2022	Harish Chander	Notified
5.	Guidelines: Multi Skilling & Cross Sectoral Skilling : Guidelines, Qualification approval assessment, adoption and other matters	Done	Done	Done	Done	Notified on 18/02/2022	Ratna/ Ojasvi	Notified
6.	Guidelines: NSQF alignment of NOS and MC	Done	Done	Done	Done	Notified on 03/03/2023, 8th Council meeting accorded approval for notification	Shourya	Notified

7.	Guidelines: Diploma Qualifications	Done/8th Council meeting 20 March	Done	Done/ Yes UGC and AICTE	Done	15th May 2 023	Shourya/ Balaji/Srishti	Notified
8.	Guidelines: NCVET logo and certificates	Done	Done	Done	Done	Completed and approved	Sarika/ Sheetal	Notified
9.	Guidelines: Recognition of Prior Learning,	Done	Done	Done	Done	Done	Abhinav/ Amit/ Amresh	Notified
10.	Guidelines: Skill University-recognition and others	Done	Stakeholder consultation Done	Done	NA		Sarika	New Committee has been formulated based on which the guidelines will be worked upon afresh.
11.	Guidelines: NSQF alignment of OEM Qualifications	Done	Done	Done	Done/23 June 2023		Shourya/ Srishti	
12.	Guidelines: Training of Trainer (TOT)	Done	Stakeholder consultation Done	N/A	Done (03-07-23 to 24-07-23)		Shourya/ Nidhi/ Srishti/ Vandana	
13.	Guidelines: Training of Assessor	Done	Stakeholder consultation Done	Shared with MSDE – comments awaited	Till 1st August 2023		Amit/ Abhinav/ Pragya/ Ojasvi	
14.	Guidelines: AI in VET and AI related Matters	Done	Stakeholder consultation Done		Pending		Hari Prasad/ Parkishit/ Ratna	

15.	Guidelines: Accessibility Parameters for PwDs	done	Stakeholder consultation Done	Shared			Sarika	
16.	Policy & Guidelines: All matters relating to implementation of VET and Skilling in School Education, School Boards including recognition	In-progress 1st Draft prepared- awaited for approval	Stakeholder consultation Done	Shared with DoSEL			Sarika/ Amir	To be amended in view of the NCrF operationalize
17.	Guidelines: Industry collaboration	Done	Stakeholder consultation Done	To be shared by 4th August 2023			Amit/ Ratna/ Pragya/ Parikshit	
18.	Guidelines: Digital content development	Done	Stakeholder consultation Done	To be shared			Amresh/ Ratna/ Pragya	
19.	Revision of Guidelines: Assessment Agencies	In-progress 1st Draft prepared – Awaited for approval					Amit/ Amir/ Ojasvi/ Parikshit	
20.	Policy & Guidelines: Employability Skills, Soft skills and life skills including secretariat	In-Progress					Shourya/ Nidhi/ Parikshit	
21.	Policy & Guidelines: Self-Employment, Micro-Entrepreneurship and Entrepreneurship,	In-Progress					Shourya/ Vandana/ Nidhi/ Sheetal	

22.	Policy & Guidelines: Industry 4.0/ 5.0 in all sectors	In-progress					Hari Prasad	
23.	Policy & Guidelines: National Credit Framework: Operationalization in Higher Education	In-progress					Sarika	
24.	Policy & Guidelines: Matters related to Apprenticeship/ internship/ OJT/ degree apprenticeship in Higher Education	In-progress					Harish Chandra	
25.	Policy & Guidelines: NCVET bye-laws and other related policies	In-progress					Harish Chandra	
26.	Policy & Guidelines: Policy on NCO Coding and its application	In-progress					Shourya/ Ratna	
27.	Policy & Guidelines: Recruitment Rules for NCVET	In-Progress					Harish Chandra	
28.	Guidelines: Communication and Branding	In-progress					Sheetal	
29.	Guidelines: Recognition of Skill Information Provider	In-progress					Amit	
30.	Revision of Guidelines: Awarding Bodies	In-progress					Shourya	
31.	Guidelines: Hackathon, Olympiads & Gifted learners	In-progress					Amit/ Abhinav/ Pragya	
32.	Guidelines: Rating and Grading	In-progress					Amit/ Hari/ Amir/ Amresh	

33.	Comprehensive revision of the Guidelines on Recognition and Regulation of Awarding Body in alignment of NCrF.	In-progress					Shourya	
34.	Comprehensive revision of the Guidelines on Recognition and Regulation of Assessment Agency in alignment of NCrF.	In progress					Amit	

Annexure III

<u>The Constitution of the committee (to review the ES NOS/ NOs and to develop corresponding Guidelines) and the terms of reference set out for the committee</u>

File No. 32001/07/2023/NCVET
National Council for Vocational Education and Training
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
Government of India

****

New Delhi
Date: 03/07/2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Constitution of Committee to identify and classify the Employability Skills, Soft-Skills and Life-Skills and competencies required for Job Roles/ Qualifications at various levels and **development of Guidelines for integrating & implementing the same as elements/ modules for Micro-Credentials (MC) and National Occupational Standards (NOS).**

1. The employability skills of various modules of 30Hrs, 60Hrs, 90Hrs and 120Hrs were developed by the DGT and approved in the 20th NSQC held in Jun 2022 and further in the 8th NCVET Council meeting held on 20th March 2023. Further, all recognized Awarding bodies were mandated to add these ES NOS, as applicable, in all their qualifications, existing as well as those being developed for NSQF alignment and approval.

2. In the course of implementation some recognized Awarding Bodies have raised the issue that the existing ES NOS do not provide adequate flexibility for catering to the requirements of different job roles and are hardcoded to some extent. Awarding bodies are left to select one of the 4 existing NOS for inclusion in their qualification, which in number of cases, may not be adequate/ aligned to the actual requirements of the job role of the sector/ industry/ employer. Therefore, it is felt necessary to review the existing ES NOS so as to provide required flexibility to the ABs in populating the Employability NOS for the qualification.

3. It has also been pointed out that the existing guideline does not provide clarity as to whether or not a learner has to undertake the same training on employability skills in different job roles at various NSQF levels. This is inadvertently resulting in a learner repeating the same training in different job roles, thereby causing financial loss to the exchequer.

4. Accordingly, NCVET has constituted a Sub-Committee to review all the four modules of ES NOS and to **develop Guidelines and suggest the components to be included as Employability Skills, Soft-Skills and Life-Skills; such that the** modules developed may be **used as plug and play model in the form of elements/ modules while creating either standalone Micro-Credentials (MC)/ National Occupational Standards (NOS) or** for enabling flexibility in their

structure for incorporating them in the National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned and approved Qualifications.

5. The following shall be the composition of the Sub-Committee:

Serial Number	**Name & Organization**	
i.	**Dr. Vinita Aggarwal, Executive Member, NCVET**	Chairperson #
ii.	Representative of the **Ministry of Skill Development and Entrepreneurship** not below the level of Director	Member
iii.	Representative of the **University Grants Commission (UGC)** not below the level of Joint Secretary	Member
iv.	Representative of the **All-India Council for Technical Education (AICTE)** not below the level of Director	Member
v.	Representative of **National Council of Educational Research and Training (NCERT)** not below the level of Joint Director	Member
vi.	Representative of **DGT** not below the level of DDG	Member
vii.	Director **R SETI**	Member
viii.	Ms. Deepti Saxena, Vice-President, **NSDC**	Member
ix.	Representative of the **Wadhwani Foundation**	Member
x.	CEO IT-ITeS/ **NASSCOM** SSC	Member
xi.	CEO **Management & Entrepreneurship and Professional Skills Council** (MEPSC)	Member
xii.	CEO **Media & Entertainment Sector Skill Council**	Member
xiii.	CEO **Retailers Association's Skill Council** of India	Member
xiv.	CEO **QUEST ALLIANCE**	Member
xv.	CEO **MSAG Skills India** Pvt. Ltd.	Member
xvi.	**Col Santosh Kumar, Director**, NCVET	Member Secretary
xvii.	Representative of **United Nations International Children's Emergency Fund** (UNICEF)	Expert Advise

 # The Chairperson may further nominate two additional Subject Matter Experts for providing assistance.

6. **Terms of Reference:** The Terms of Reference for the Committee shall be as under: -

a. Identify and classify various types of **Employability Skills, Soft-Skills, Life-Skills** and competencies required to be integrated and provided along with Vocational Education, Training and Skilling for Job Roles/ Qualifications at various levels for Long Term Trainings (LTTs), Short Term Trainings (STTs), as also Vocational Education, Training and Skilling in schools, technical and higher education. The indicative list is enclosed as **Annexure.**

b. While identifying the employability skills, soft-skills and life-skills and competencies the factors described under the National Skill Qualification Framework (NSQF) and level descriptors at various levels including aptitude, mind-set, employment readiness, 21st century skills, entrepreneurship, broad learning outcomes etc may be kept in mind.

c. Develop guidelines **for integrating & implementing such Employability Skills, Soft-Skills, Life-Skills and competencies as elements/ modules for Micro-Credentials (MCs) and National Occupational Standards (NOS)** to meet the national & international standards. The guidelines, interalia, shall:

i. List all skills and competencies, including higher order skills, aligned to various NSQF levels to be provided through various elements/ modules.

ii. Categorize these modules as core/mandatory modules and elective/ optional elements/ modules to develop Micro-Credentials (MC) and National Occupational Standards (NOS) which may be included as per the requirement of a particular job role/ qualification.

iii. Specify teaching and learning methodology, Training of Trainers methodology and the assessment criteria to be followed for each of these elements/ modules to be used in Micro-Credentials (MC) and National Occupational Standards (NOS).

iv. Develop outline of each element/ module for Micro-Credentials (MC) and National Occupational Standards (NOS) in prescribed format with the expected learning outcomes and performance criteria for every learning outcome; the detailed training and learning strategy, and process.

d. The Sub-Committee will constitute expert groups for development of the elements/ modules to be used in Micro-Credentials (MC) and National Occupational Standards (NOS), consisting of the following, and shall oversee such development:

i. Model curriculum, student's guide; basic learning resources;

ii. Basic e-content based on the model curriculum;

iii. Strategy and guidelines for training, and assessment;

iv. Trainer's qualifications/ eligibility/ experience; Training Manual, basic assignments, tutorials; ToT Qualification;

v. Assessor's qualifications/ eligibility/ experience; Assessment Manual, practical assessments methodology; ToA Qualification;

e. The elements/ modules, Micro-Credentials (MC) and National Occupational Standards (NOS) on **Employability Skills/ Soft-Skills/ Life-Skills (ES/SS/LS)** will be developed at various NSQF level as per the following blocks:

i. Basic ES/SS/LS - NCrF/NSQF Level 1, 2, 2.5 and 3

ii. Intermediate ES/SS/LS - NCrF/NSQF Level 3, 3.5 and 4

iii. Advance ES/SS/LS - NCrF/NHEQF Level 4, 4.5, 5, 5.5

iv. Higher Order ES/SS/LS - NCrF/NHEQF LEVEL 5.5, 6, 6.5 and 7

f. The Sub-Committee may hold wider consultations with all stakeholders in the skilling and education ecosystems as well as industry/ employers.

g. **Timelines:** The Sub-Committee shall submit its report in 3 phases on identification and classification (14th July 2023), develop guidelines (14th August, 2023), and suggest an outline of each module for development of content (September 15th 2023). The final report shall be submitted by September 30th, 2023.

7. The Sub-Committee may co-opt any additional members and invite experts to provide inputs as per the requirements of the Terms of Reference. The secretarial support to the Sub-Committee will be provided by Ms. Nidhi Trehan, Consultant Grade-I, NCVET and Mr Parkishit Yadav, Young Professional, NCVET.

8. This issues with the approval of the Competent Authority.

Member Secretary & Director Policy
National Council for Vocational
Education and Training (NCVET)

Annexure IV

A. List of NCVET recognised Awarding Bodies (Standard) - current Status

S.No.	Name of Awarding Body (Standard)	Status
1	Beauty and Wellness Sector Skill Council	Agreement Signed
2	Electronics Sector Skill Council	Agreement Signed
3	Green Jobs Sector Skill Council	Agreement Signed
4	Handicraft and Carpet Sector Skill Council	Agreement Signed
5	Automotive Sector Skill Council	Agreement Signed
6	Food Processing Sector Skill Council	Agreement Signed
7	Rubber, Chemical & Petrochemical Skill Development Council	Agreement Signed
8	Sports Sector Skill Council	Agreement Signed
9	Management Sector Skill Council	Agreement Signed
10	Apparel Sector Skill Council	Agreement Signed
11	Capital Goods Sector Skill Council	Agreement Signed
12	Media Sector Skill Council	Agreement Signed
13	Power Sector Skill Council	Agreement Signed
14	Textile Sector Skill Council	Agreement Signed
15	Agriculture Sector Skill Council	Agreement Signed
16	Hydrocarbon Sector Skill Council	Agreement Signed
17	Healthcare Sector Skill Council	Agreement Signed
18	Paint and Coating Sector Skill Council	Agreement Signed
19	Construction Sector Skill Council	Agreement Signed
20	Instrumentation Sector Skill Council	Agreement Signed
21	Telecom Sector Skill Council	Agreement Signed
22	Tourism Sector Skill Council	Agreement Signed
23	Plumbing Sector Skill Council	Agreement Signed
24	Furniture and Fitting Sector Skill Council	Agreement Signed
25	Domestic Workers Sector Skill Council	Agreement Signed
26	National Association of Software and Service Companies (NASSCOM)	Agreement Signed
27	Logistics Sector Skill Council	Agreement Signed
28	Aviation Sector Skill Council	Agreement Signed
29	Gems and Jewellery Sector Skill Council	Agreement Signed
30	Skill Council for Person with Disability	Agreement Signed
31	Infra structure Equipment Sector Skill Council	Agreement Signed
32	Indian Iron and Steel Sector Skill Council	Agreement Signed
33	Mining Sector Skill Council	Agreement Signed

34	Banking, financial services and insurance (BFSI) SSC	Agreement Signed
35	Life Sciences Sector Skill Development Council (LSSSDC)	Agreement Signed
36	Leather Sector Skill Council	Agreement Signed
37	Retailers Association's Skill Council of India (RASCI)	Agreement Signed
38	Centurion University, Odisha	Agreement Signed
39	Medhavi Skill University, Sikkim	Agreement Signed
40	Safety Skill Dev Foundation, Gujarat	Agreement Signed
41	Maa Saraswati Educatiuonal Trust, Delhi	Application Withdrawn
42	Thesia Skill Development of India Foundation, New Delhi/ National Skill Development Trust	Application Withdrawn
43	Council of Skill Innovation and Certification, UP	Application Withdrawn
44	BECIL	Application Withdrawn
45	Shree Ram Vocational and Cultural Society, Delhi	Application Withdrawn
46	Indira Gandhi Computer Shaksharta Mission	Not found eligible
47	Smart Skill Bits & Bytes Pvt. Ltd.	Not found eligible
48	Smart & Robust Skill Foundation, Chattisgarh	Not found eligible
49	Export Promotion Council for Handicrafts	Not found eligible
50	International Inst of Hotel Management, Delhi	Not found eligible
51	G&G Foundation, Haryana	Not found eligible
52	SDI Bhubaneshwar	Not found eligible
53	Andhra Pradesh Productivity Council (APPC), Hyderabad	Not found eligible
54	Assam State Development Mission	Not found eligible
55	Express Awarding Foundation	Not found eligible
56	Karnimata chikitsa shikhsha Evam samaj kalyan samiti	In process
57	Microsoft	in process

B. List of NCVET recognised Awarding Bodies (Dual)- current Status

S.No.	Name of Awarding Body (Dual)	Status
1.	Central Institute of Petrocehmical Engineering, Chennai	Agreement signed
2.	Additioanl Skill Acquisition Programme, Kerala (ASAP)	Agreement signed

3.	National Institute of Electronics and Information Technology, Delhi	Agreement signed
4.	National Film Development Corporation, Mumbai (NFDC)	Agreement signed
5.	Karnataka Skill Development Cooperation	Agreement signed
6.	Indian Air Force	Agreement signed
7.	Indian Navy	Agreement signed
8.	Armoured	Agreement signed
9.	Corps of Military Police	Agreement signed
10.	Artillery	Agreement signed
11.	Army Medical Corps	Agreement signed
12.	Remount Veterinary Corps	Agreement signed
13.	Army Air Defence	Agreement signed
14.	Electrical & Mechanical Engineering	Agreement signed
15.	Army Aviation	Agreement signed
16.	Corps of Signals	Agreement signed
17.	Corps of Engineers	Agreement signed
18.	Mechanised Infantry	Agreement signed
19.	Infantary	Agreement signed
20.	Army Ordinance Corps	Agreement signed
21.	Army Service Corps	Agreement signed
22.	Intelligence Corps	Agreement signed
23.	Army Physical Training Corps (APTC)	Agreement signed
24.	Army Education Corps	Agreement signed
25.	SCTEVT, Odisha	Agreement signed
26.	Indira Gandhi National Open University (IGNOU)	Agreement signed
27.	Jan Shikshan Sansthan (JSS)	Agreement signed
28.	National Academy of RUDSETI, Karnataka	Agreement signed

29.	Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL)	Agreement signed
30.	Sri Vishwakarma Skill University, Haryana (SVSU)	Agreement signed
31.	West Bengal State Council of Tech and Vocational Education & Skill Development	Agreement signed
32.	Haryana State Electronics Dev Corp.	Agreement signed
33.	iACE	Agreement signed
34.	CBSE	Agreement signed
35.	Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University (MRSPTU)	Agreement signed
36.	Maharishi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratishthan	Agreement signed
37.	The National Institute of Open Schooling (NIOS)	LoI Issued
38.	National Institute of Wind Energy Ministry of New & Renewable Energy, Government of India	LoI Issued
39.	Centre for Development of Advanced Company (CDAC)	LoI Issued
40.	UP Skill Development Mission	LoI Issued
41.	Chhatisgarh Swami Vivekanand Tech University	LoI Issued
42.	Nettur Tech Training Foundation, Karnataka	LoI Issued
43.	IIT Guwahati	LoI Issued
44.	Mewar University	LoI Issued
45.	Gujarat Council of Vocational Training	LoI Issued
46.	Govt. of Maharashtra Skill, Employment, Entrepreneurship and Innovation Department	LoI Issued
47.	The Institute of Cost Accountants of India	LoI Issued
48.	Sri Aurobindo Ashram – Delhi Branch Trust Society	Subcommittee Conducted, Compliance awaited
49.	Ganpat University	Subcommittee Conducted, Compliance awaited

50.	Rajasthan RCVET	Application Withdrawn
51.	Radha Govind University, Jharkhand	Application Withdrawn
52.	Sikkim Professional University	Application Withdrawn
53.	Usha Martin University	Application Withdrawn
54.	Mangalayatam University	Application Withdrawn
55.	West Bengal State Council for Vocational Training (WBSCVT)	Application Withdrawn
56.	Bihar SCVT	Application Withdrawn
57.	Mahatma Gandhi University, North-East	Application Withdrawn
58.	Karnimata Chikitsa Shiksha Evam Samaj Kalyan Samiti	Application Withdrawn
59.	NSDC International	Application Withdrawn
60.	Global Skill Park, MP	Not found eligible
61.	NSDC	Not found eligible
62.	Engg Staff College of India (ESCI),Hyderabad	Not found eligible
63.	Construction Industry Development Council (CIDC), Delhi	Not found eligible
64.	Rajiv Gandhi Computer Sakshatra Mission, Rajasthan	Not found eligible
65.	Keerti Knowledge and Skills Limited	Not found eligible
66.	North East Frontier Tech University	Not found eligible
67.	AISECT Skill Dev Organization,MP	Not found eligible
68.	JITM Skills Pvt Ltd, Delhi	Not found eligible
69.	Labour Employment and Environment Development Council, Gujarat	Not found eligible
70.	The National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR)	Not found eligible
71.	Techshore Inspection Services	Not found eligible
72.	The Institute of Engineers	In process
73.	Tamil Nadu Skill Development Corporation	In process
74.	BSA Institute of Skill Development	In process
75.	Skill Development Department, Govt. of Sikkim	In process

76.	IT Development Agency (ITDA), Govt. of Uttarakhand	In process
77.	Indian Jute Industres Reserch Association	In process
78.	The National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development	In process
79.	West Bengal State Council for Vocational Training (WBSCVT)	In process
80.	Lamrin Tech Skills University Punjab	In process
81.	IBM	In process
82.	Centre for Research and Industrial Staff Performance Bhopal	In process

Annexure V

List of NCVET recognised Assessment Agencies (current Status)

S. No.	Name of Assessment Agency	Status
1.	Skill Mantra	Agreement Signed
2.	Trendsetter	Agreement Signed
3.	MSAGSI	Agreement Signed
4.	Navriti technologies	Agreement Signed
5.	IRIS Corp	Agreement Signed
6.	SP Institute	Agreement Signed
7.	SHL India	Agreement Signed
8.	Federation of Indian Women Enterprises	Agreement Signed
9.	TAG assessor	Agreement Signed
10.	A2PL	Agreement Signed
11.	Radiant	Agreement Signed
12.	Brisk Mind Pvt Ltd.	Agreement Signed
13.	Eduvantage	Agreement Signed
14.	I Assess	Agreement Signed
15.	Indore Skill Assessment	Agreement Signed
16.	Knowledge Partner	Agreement Signed
17.	Rational Multi Skill	Agreement Signed
18.	Prima Competencies	Agreement Signed
19.	Mercr-Mettl	Agreement Signed
20.	Diversified Business	Agreement Signed
21.	Ginger Webs	Agreement Signed
22.	Proximo	Agreement Signed

23.	Palmary Projects & Services Pvt Ltd	Agreement Signed
24.	CEE Vision Technologies Pvt Ltd	Agreement Signed
25.	Vedokt	Agreement Signed
26.	IVintage	Agreement Signed
27.	Independent Qualitative Assessors Glide Pvt Ltd	Agreement Signed
28.	Cleveratti	Agreement Signed
29.	Demorgia	Agreement Signed
30.	Sai Graphics	Agreement Signed
31.	E&E Skill Pvt. Ltd./ Invigilate Technologies Pvt. Ltd.	Agreement Signed
32.	Methods Apparel	Agreement Signed
33.	PVR Skill	Agreement Signed
34.	Hemsen Exim	Agreement Signed
35.	MASCOT	Agreement Signed
36.	Amrit Skill Dev Pvt Ltd	Agreement Signed
37.	India Skill	Agreement Signed
38.	Integrated learning Solutions/Wheebox	Agreement Signed
39.	Sai Skill	Agreement Signed
40.	InTouch	Agreement Signed
41.	Ajooni	Agreement Signed
42.	elitmus	Agreement Signed
43.	Shiksha Bharti	Agreement Signed
44.	Vistaskills	Agreement Signed
45.	NSDOS	Agreement Signed
46.	Yuva Skills Foundation	Agreement Signed
47.	ACE Assessment	Agreement Signed

48.	Swargiya Shrimati Durga Devi Charitable Trust	Agreement Signed
49.	Udhyog Vikas Sansthan	Agreement Signed
50.	Khwaspuria Advisory Pvt Ltd	Agreement Signed
51.	Agam Skills Pvt. Ltd.	Agreement Signed
52.	Krenoz Global Services	Agreement Signed
53.	Reliable projects services Pvt. Ltd.	Agreement Signed
54.	AssessHub/ Five Elements Business Solutions Pvt Ltd	LOI Issued
55.	TCS	LOI Issued
56.	Pearson	LOI Issued
57.	Live Core	Sub Committee Meeting Conducted, compliances awaited
58.	Testkit/ Kitbag Tech Private Limited	Sub Committee Meeting Conducted, compliances awaited
59.	FORMAC Skill Dev Center	Sub Committee Meeting Conducted, compliances awaited
60.	Odisha Institute for Social Development (OISD)	Sub Committee Meeting Conducted, compliances awaited
61.	LEAD Assessment service private limited	Sub Committee Meeting Conducted, compliances awaited
62.	IKANN Skills & Consultants Pvt Ltd	Sub Committee Meeting Conducted, compliances awaited
63.	Stallion Veritas Certification Pvt Ltd	Sub Committee Meeting Conducted, compliances awaited
64.	Padmanav Vastushilp Pvt Ltd.	Not found eligible
65.	Futureshape	Not found eligible
66.	Sima skills Pvt. Ltd.	Not found eligible

67.	NSDC	Not found eligible
68.	Fashion Future	Not found eligible
69.	Global Infotech	Not found eligible
70.	Sun Gateway	Not found eligible
71.	S3 Assessors	Not found eligible
72.	Shaurya 4S Sewa Samiti	Not found eligible
73.	Human Develpment and research foundation	Not found eligible
74.	People Point	Not found eligible
75.	AKG Skills Pvt Ltd	Not found eligible
76.	Apparel Export Promotion Council	Not found eligible
77.	Future Wings Edu skill	Not found eligible
78.	Briddhi Innovation	Not found eligible
79.	Glocal Skill	Not found eligible
80.	MRSD Info tech Services	Not found eligible
81.	Excel Group	Not found eligible
82.	Future Global Foundation	Not found eligible
83.	Karpaga Assessment App Matrix (KAAM) Services Pvt Ltd/ HireMee	Not found eligible
84.	Indian Society for Training and Development	Not found eligible
85.	Lead Assessment	Not found eligible
86.	Shri Guru Hargovind Society	Not found eligible
87.	Cyber Dyne Private Limited	Not found eligible
88.	Talent Bridge	Not found eligible
89.	National Skills & Environment Protection Foundation	Not found eligible
90.	Shameena Begum Edu Dev Society	Not found eligible
91.	Greenarrows	Not found eligible

92.	Algol	Not found eligible
93.	NYSA Communications pvt ltd	Not found eligible
94.	Tebro Hindustan	Not found eligible
95.	Satilala Charitable	Not found eligible
96.	SRPM Aspire	Not found eligible
97.	Virtual SAAS pvt ltd	Not found eligible
98.	Society for vocational Studies	Not found eligible
99.	Bluestone solutions	Not found eligible
100.	Pratham Skill Mantra	Not found eligible
101.	Intent Management	Not found eligible
102.	Krish Network	Not found eligible
103.	Pratibha Education	Not found eligible
104.	Hritvik Aggarwal Foundation	Not found eligible
105.	CMS	Not found eligible
106.	Global SME	Not found eligible
107.	Career Point Kota	Not found eligible
108.	Gravess Infotech	Not found eligible
109.	Digital Skills Indo Corp	Not found eligible
110.	Growwell Fincon Services	Not found eligible
111.	Samriddhi	Not found eligible
112.	Mahamaya Shiksha	Not found eligible
113.	Sree Gayatri Natural Resourses	Not found eligible
114.	Hireme / KAAM Services Pvt. Ltd	Not found eligible
115.	Sant Ravidass Educational Society	Not found eligible
116.	Eminence Solutions	Not found eligible
117.	FUSEC Consulting Pvt Ltd	Not found eligible

118.	SIMS	Not found eligible
119.	SEG	Not found eligible
120.	Rangan Trust	Not found eligible
121.	A to Z foundation	Not found eligible
122.	Garment Export Mfg Assocaition (GEMA)	Not found eligible
123.	Intellitix	Not found eligible
124.	Samta Shiksha Vikas Sansthan	Not found eligible
125.	Star Project	Not found eligible
126.	Virtual Education Trust	Not found eligible
127.	Aspire Assess Skills	Not found eligible
128.	GHRP Skill India Pvt Ltd	Not found eligible
129.	Oceans Assessors	Not found eligible
130.	Eduquity	Not found eligible
131.	Centre For Entrepreneurship Development Madhya Pradesh	Not found eligible
132.	Test Key	Not found eligible
133.	Edus Skills Management Services	Application Withdrawn
134.	Gupteshwar Jan Kalyan	Application Withdrawn
135.	Flawless Beauty	Application Withdrawn
136.	Sambhav Foundation	Application Withdrawn
137.	Qazi Skills	Application Withdrawn
138.	Basil India	Application Withdrawn
139.	C&K Management	Application Withdrawn
140.	New Saraswati	Application Withdrawn
141.	HR Interventions	Application Withdrawn
142.	Global Assessment	Application Withdrawn
143.	Mirams	Application Withdrawn

144.	Ms Certification	Application Withdrawn
145.	Eduworld	Application Withdrawn
146.	Explore D flair	Application Withdrawn
147.	Rajiv Gandhi Educational Foundation	Application Withdrawn
148.	SSD, MP	Application Withdrawn
149.	Base Research	Application Withdrawn
150.	Career Soft infotech	Application Withdrawn
151.	Future Developers & Contractors	Application Withdrawn
152.	PSG College of Technology	Application Withdrawn
153.	Naya Savera	Application Withdrawn
154.	Sparsh Education Trust	Application Withdrawn
155.	Magic Abacus	Application Withdrawn
156.	Cooperation & Assistance for Relief & Development (CARD), Bhopal	Application Withdrawn
157.	Premia Consultancy	Application Withdrawn
158.	Alfaa Tech Pvt Ltd	Application Withdrawn
159.	Udichi	Application Withdrawn
160.	Lala Fateh Chand Edu Society	Application Withdrawn
161.	Arthav Information Technologies Private Limited	Application Withdrawn
162.	Smart Skill Trust	Application Withdrawn
163.	VSAA Knowledge Academy Pvt. Ltd.	Application Withdrawn
164.	Unique Educational Society	Application Withdrawn
165.	Sree Gayatri Natural Resources Pvt. Ltd.	Application Withdrawn
166.	Unique Education Welfare Society	Application Withdrawn
167.	VSAA Knowledge Academy Pvt. Ltd.	Application Withdrawn
168.	Sparsh Education Trust	Application Withdrawn

169.	ACE Foundation	Application Withdrawn
170.	Inspire Youth Developemnt	Application Withdrawn
171.	The Institute of Civil Engineers Society	Application Withdrawn
172.	CII	Application Withdrawn
173.	The Indian Institute of Welding	Application Withdrawn
174.	Gauge Squad Pvt Limited	Application Withdrawn
175.	Bhavishya uday shiksha Evam Baal chetna samiti	Application Withdrawn
176.	S3 Assessors	In process
177.	Shobha Multi Speciality Services	In process
178.	Skill Tributaries	In process
179.	International Social Worker Association	In process
180.	Aman Skill Programming Society	In process
181.	MS Certification Services Pvt. Ltd.	In process
182.	Satyamayba Jayate Charitable Trust	In process
183.	Gupteshwar jankalyan Mahila Avam Ball vikas siksha samiti	In process
184.	Royal Education Research society	In process
185.	Mosiac Multi Ventures Pvt. Ltd.	In process
186.	Sambhav Educational & social welfare Society	In process
187.	Merindyne Skills India Pvt. Ltd.	In process
188.	Asian intitute of English Language Pvt. Ltd.	In process
189.	Hindgrow Professionals India Pvt. Ltd.	In process
190.	Sai Social Micro Finance Foundations	In process
191.	KAAM (Hire Mee)	In process
192.	One Crew Solutions Pvt. Ltd.	In process

193.	Lead Assessment Services Pvt. Ltd.	In process
194.	Team_Shaurya_4S	In process
195.	Netcom Impo Expo Pvt. Ltd.	In process
196.	Iamneo	In process
197.	Career Forum Society	In process

Annexure VI

Standard Operating Procedures (SOPs) for assigning unique recognition codes to NCVET recognized Awarding Bodies (ABs) and Assessment Agencies (AAs)

Introduction:

1. The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) was notified by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 5th December 2018. One of the major functions of NCVET includes "Recognition & Regulation of Awarding Bodies (ABs) and Assessment Agencies (AAs)". The Guidelines for Recognition and Regulation of Assessment Agencies and Awarding Bodies were brought out by NCVET on 27th October 2020. All the applications received for seeking NCVET recognition as an Assessment Agency have been examined as per the norms and procedures prescribed under these Guidelines. So far, NCVET has granted formal recognition to 48 AAs and 68 ABs through signing of Agreements with the recognized entities.

2. With a view to ensure standardization in the skill ecosystem, a need has been felt to assign a unique recognition code to each entity recognized by NCVET.

Need for unique recognition codes:

3. Unique recognition code will facilitate ease of identification, better accountability, and traceability of AAs and ABs.
4. The recognition code will provide ease of access to basic information about the entity at a glance. This will streamline the recognition and monitoring processes significantly.
5. NCVET is in the process of launching its Digital Enterprise Portal (DEP) wherein the recognition codes can be entered to obtain detailed information about the organization with a single click.

Major components of the recognition code:

6. The proposed recognition codes are alphanumeric in nature and have been formulated by considering the following important attributes of the entities:

   a) **Unique Code:** This is a four-digit alphanumeric code which has two series each with AB and AA as initials followed by sequential number (e.g 0001, 0002 and so on).
   b) **Category**:
      i. Standard and Dual category for ABs
   c) **Geography**: Geography indicates the territorial jurisdiction of the entity i.e Global, PAN India or for specific states/ UTs.
   d) **Type**: The type of the entity is determined from the legal status of the entity such as central government body, private body, university etc.

e) **Year of grant of initial recognition:** The code captures the initial year of grant of recognition which indicates the year in which Agreement was signed by the recognized entity with NCVET.

f) **Year of renewal of recognition:** After the completion of initial validity of recognition, the entity can apply for subsequent renewals which will also be captured in the recognition code as R1, R2 and so on. R0 indicates that initial period of recognition is valid and therefore the entity has not applied for any renewal.

Static and Dynamic Components in the recognition code:

7. The recognition code comprises of Static and Dynamic components. The segregation of the same is explained in the diagram below:

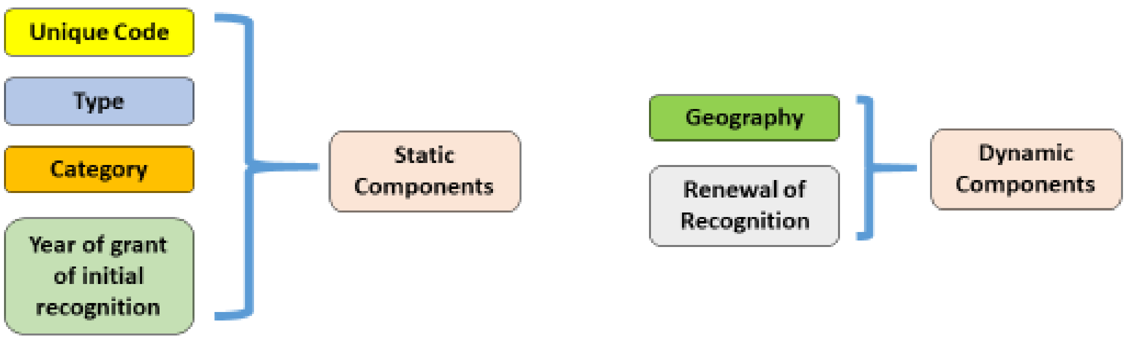

8. The geography/ territorial jurisdiction allocated to the entities are subject to change based on the following:

Expansion into new geographies:

9. As per the provisions laid down in the AA and AB Guidelines, the eligible entities can expand into new geographies by demonstrating adequate capacity (same has also been enumerated Annexure B of the AA Agreement).

Coding mechanism for developing AWARDING BODY and ASSESSMENT AGENCY Code

10. The Code will begin with AA for Assessment Agencies
11. The Code will begin with ABS or ABD for Awarding Bodies according to their category

CATEGORY of AB	Abbreviation used in the code
Standard	S
Dual	D

12. Geography Allocated to the AA/ AB:

GEOGRAPHY allocated to the AA/AB	**Abbreviation used in the code**
Pan India	I
State	S
Global	G

13. Type of Organization:

S.No.	**TYPE of organization**	**Abbreviation used in the code**
a)	Central Ministries/ Departments and associated autonomous institutions	CGO
b)	State Departments/ SCVT/ associated institutions of the state	SGO
c)	Private Bodies	PVB
d)	Sector Skill Council	SSC
e)	Skill Universities	SKU
f)	Universities	UNI
g)	School Boards - Central/State	SGB
h)	Directorate General of Training (DGT)	DGT
i)	Defence Forces: a) Indian Army b) Indian Navy c) Indian Airforce	 d) DIA e) DIN f) DAF
j)	Public Private Partnership	PPP
k)	Public sector Undertakings	PSU

14. Period of grant of recognition:

a) First year of grant of recognition to be mentioned in **YYYY** format
b) For ex: If the initial recognition is granted in 2023 then it will be mentioned in the code as: **2023**

15. Renewal of Recognition:

a) First renewal will be captured as R1, Second year as R2 and so on. R0 indicates that initial period of recognition is valid and therefore the entity has not applied for any renewal.

   For ex: If the initial recognition is granted in 2023 and the first renewal took place in 2026 than it should be mentioned in the code as: **2023/R1**

Use Cases:

16. Awarding Body Recognition Code:

a) Case of Initial recognition:

Case 1: A Central Govt. AB granted AB-Dual recognition with PAN India as allocated territorial jurisdiction and granted recognition in 2023 for a period of 3 years.

Categor | Geograph | Unique Code | Typ | Year of grant of recognition | Renewa

ABDI/0001/CGO/2023/R0

AB-Awarding Body/ D-Dual/ I-PAN INDIA/ 0001 - Unique Code/ CGO- Central Ministries/ 2023- Year of grant of initial Recognition/ R0- Initial Recognition period is valid, hence no renewal

1.2. **Case of Renewed recognition:**

A University granted AB-standard recognition with Punjab as allocated territorial jurisdiction and granted recognition in 2023 and applied for first renewal in 2026

Categor | Geograp | Unique | Typ | Year of grant of | Renewa | Year of Renewa

ABSS/0009/UNI/2023/R1/26

AB-Awarding Body/ S-Standard/ S-State/ 0001 - Unique Code/ UNI- University/ 2023- Year of grant of initial Recognition/ R1- Applied for first renewal/ 26- Applied for first renewal in 2026

17. Assessment Agency Recognition Code:

a) Case of Initial recognition:

A Private AA with PAN India as allocated territorial jurisdiction and granted recognition in 2023

Geograph | Unique Code | Typ | Year of grant of recognition | Renewa

AAI/0001/PVT/2023/R0

AA-Assessment Agency/ I-PAN INDIA/ 0001 - Unique Code/ PVT- Private agency/ 2023- Year of grant of initial Recognition/ R0- Initial Recognition period is valid, hence no renewal

Annexure VII

A. <u>Standard Recognition letter for AB</u>

AB Recognition Code: _____________

File No: ______________

National Council for Vocational Education and Training (NCVET)

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

****

Kaushal Bhawan, Pusa Road

New Delhi 110005

DD/MM/YYYY

To,

____

____

<u>Subject: Grant of Recognition as an Awarding Body to __________ by NCVET for a period of Three (03) continuous years effective from DD/MM/YYYY - Reg.</u>

1. NCVET by the virtue of functions and powers entrusted by gazette notification No. SD-17/113/2017-E&PW dated 05th December, 2018 under Section 16(1) (a) grants recognition to_______ to function as an Awarding Body for the territorial jurisdiction allocated by NCVET for its NSQF aligned & approved qualifications either developed or adopted by the AB.

2. Based on the information provided by the Awarding Body to meet the criteria as per the Guidelines for Recognition and Regulation of Awarding Bodies (AB) 2020 (referred to as AB Guidelines) & Operational Manual, __________has entered into an Agreement with NCVET on DD/MM/YYYY for the grant of recognition as an Awarding Body for a period of 3 continuous years applicable from the date of signing of Agreement subject to satisfactory performance, based on the continuation criteria and provisions of the risk ratings as specified in section 4 of the AB Guidelines. The recognition has been granted to _____ for the following territorial jurisdiction and qualification(s):

2.1 Territorial Jurisdiction for which recognition is granted

2.2 NSQF aligned & approved qualifications either developed or adopted by the AB and as updated on National Qualification Register (NQR) from time to time

3. Further, in accordance with the provisions of the Agreement, __________is authorized to discharge its functions, responsibilities and obligations of an Awarding Body in the allocated territorial jurisdiction for its NSQF aligned & approved qualifications either developed or adopted by the Awarding Body. The NCVET recognized Awarding Body can award NCVET certificate to trainees/ learners after successful completion of training and assessment for its NSQF aligned & approved qualifications either developed or adopted by the Awarding Body. The Awarding Body is *inter-alia* authorized to carry out the following functions:

3.1 Conform to the recommendations/ conditions for empanelment of training bodies as prescribed in section 4 of the AB Guidelines and clause 7 of the Agreement.

3.2 Affiliate training bodies for imparting vocational training including skilling, re-skilling and recognition of prior learning with up-skilling, apprenticeship training in accordance with the Agreement.

3.3 Ensure on-boarding of Assessment Agency/ Agencies from the NCVET recognized pool of AAs subject to clause 7.1.13 listed in the Agreement.

3.4 Develop and submit new/ revised qualifications to NCVET for its necessary approval. The AB shall ensure that the review of qualifications is undertaken well before the expiry of the same as per the NCVET qualification approval mechanism/ guidelines from time to time.

4. The Awarding Body shall be governed by the terms and conditions of the Agreement, AB Guidelines, AA Guidelines, and the respective Operational Manuals.

(xxxxx_sig xxxxxx)
Director, NCVET

B. <u>Standard Recognition letter for AB (Dual)</u>

AB Recognition Code: _____________

File No: ______________

National Council for Vocational Education and Training (NCVET)

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

****

Kaushal Bhawan, Pusa Road

New Delhi 110005

DD/MM/YYYY

To,

____

____

<u>Subject: Grant of Recognition as an Awarding Body- Dual (AB-Dual) to __________ by NCVET for a period of Three (03) continuous years effective from DD/MM/YYYY - Reg.</u>

1. NCVET by the virtue of functions and powers entrusted by gazette notification No. SD-17/113/2017-E&PW dated 05th December, 2018 under Section 16(1) (a) grants recognition to_______ to function as an Awarding Body (Dual) for the territorial jurisdiction _________ allocated by NCVET for its NSQF aligned & approved qualifications either developed or adopted by the AB- Dual.

2. Based on the information provided by the Awarding Body to meet the criteria as per the Guidelines for Recognition and Regulation of Awarding Bodies (AB) 2020 (referred to as AA Guidelines) & Operational Manual and Guidelines for Recognition and Regulation of Assessment Agencies (AA) 2020 (referred to as AA Guidelines) & Operational Manual, __________has entered into an Agreement with NCVET on DD/MM/YYYY for the grant of recognition as an Awarding Body (Dual) for a period of 3 continuous years applicable from the date of signing of Agreement subject to satisfactory performance, based on the continuation criteria and provisions of the risk ratings as specified in section 4 of the AB Guidelines. The recognition has been granted to _____ for the following territorial jurisdiction and qualification(s):

2.1 Territorial Jurisdiction for which recognition is granted

2.2 NSQF aligned & approved qualifications either developed or adopted by the AB and as updated on National Qualification Register (NQR) from time to time

3. Further, in accordance with the provisions of the Agreement, __________is authorized to discharge its functions, responsibilities and obligations of an Awarding Body (Dual) in the allocated territorial jurisdiction for its NSQF aligned & approved qualifications either developed or adopted by the Awarding Body (Dual). The NCVET recognized Awarding Body (Dual) can assess and certify the learners where training is directly being imparted by the Awarding Body in campuses or training centers owned or fully managed by it for its approved or adopted qualifications. The Awarding Body (Dual) is authorized to carry out the following functions:

3.1 Award certificates to trainees/learners after successful completion of training and assessment for an approved qualification along with performing all such other functions of an Awarding Body as specified in the AB Guidelines and Operation Manual.

3.2 In addition to 3.1 above, the entity can also conduct assessments for trainings conducted in campuses or training centers owned or fully managed by it and award certificates in NSQF aligned and approved qualifications either developed or adopted by the AB.

3.3 The entity can also assess and certify the learners wherein training is imparted through agencies (Training Providers/ Training Centres) affiliated for its approved or adopted qualifications. Only Government ABs are eligible under this type of Dual recognition.

3.4 The entity can undertake assessments themselves without onboarding third party AAs. However, if felt necessary, they may also onboard third party NCVET recognized AAs subject to adhering to the provisions laid down in the AA/AB Guidelines.

4. The Awarding Body (Dual) shall be governed by the terms and conditions of the Agreement, AB Guidelines and the respective Operational Manuals.

(xxxxx_sig xxxxxx)

Director, NCVET

C. <u>Standard Recognition letter for AA</u>

AA Recognition Code: ____________

File No: _____________
National Council for Vocational Education and Training (NCVET)
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
****

Kaushal Bhawan, Pusa Road
New Delhi 110005
DD/MM/YYYY

To,

<u>(Name and Address of the recipient)</u>
____

<u>Subject: Grant of Recognition as an Assessment Agency (AA) to _________ by NCVET for a period of Three (03) continuous years effective from DD/MM/YYYY - Reg.</u>

1. NCVET by the virtue of functions and powers entrusted by the gazette notification No. SD-17/113/2017-E&PW dated 05th December, 2018 under Section 16(1) (b) grants recognition to________________________ to function as an Assessment Agency for the sectors and territorial jurisdiction allocated by NCVET.
2. Based on the information provided by the Assessment Agency to meet the criteria as per the Guidelines for Recognition & Regulation of Assessment Agencies 2020 (referred to as "AA Guidelines") and Operational Manual, ____________ has entered into an Agreement with NCVET on DD/MM/YYYY for the grant of recognition as an Assessment Agency for a period of 3 continuous years applicable from the date of signing of Agreement subject to satisfactory performance, based on the continuation criteria and provisions of the risk ratings as specified in section 7 of the AA Guidelines. The recognition has been granted to ____________________________ for the following territorial jurisdiction and sector(s):

   2.1 Jurisdiction for which recognition is granted

____

2.2 Sector(s) for which recognition is granted

3. Further, in accordance with the provisions of the Agreement, ____________ is authorized to discharge the functions, responsibilities and obligations of an Assessment Agency in the allocated sector(s) and territorial jurisdiction. The recognized Assessment Agency is eligible to carry out assessments for NSQF aligned and approved qualifications in the sector(s) allocated to the AA for which adequate capacity (Question Banks, SMEs, Industry connects etc.) has been demonstrated and such qualifications are being run under any schemes/ programmes funded by the Government of India as well as any fee based programmes.
4. The AA shall be governed by the terms and conditions of the Agreement, Guidelines for Recognition & Regulation of Assessment Agencies 2020, and Operational Manual. The territorial jurisdiction and sector(s) allocated to the Assessment Agencies are subject to change as per the provisions laid down in the Guidelines for Recognition & Regulation of Assessment Agencies 2020 and as modified from time to time.

(xxxxx_sig xxxxxx)
Director, NCVET

Annexure VIII

Details of Six New Approved Certificate Templates

1. Certificate Template for standalone National Occupational Standards (NOS)

अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक प्रमाणपत्र
Certificate for National Occupational Standards

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. ______

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of ______ जन्म तिथि Date of Birth ______ नामांकन संख्या Enrolment No ______

ने जॉब रोल/अहर्ता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment of National Occupational Standards ______

अवधि
of duration ______ अर्जित किया having earned ______ क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर Credits at NCrF/NSQF Level ______

प्रशिक्षण केन्द्र
Training Centre ______ जिला District ______ राज्य State ______

प्रतिशत/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with ______ %/Grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: ______
जारी करने की तिथि
Date of Issue: ______

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link
Digitally Generated Certificate

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Scheme logo (if applicable)

Logo of awarding body
हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -
(Incase of joint certification)

Logo of awarding body
हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -

2. Certificate Template for Micro-Credential

अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate for Micro Credential

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. ______

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of ______ जन्म तिथि Date of Birth ______ नामांकन संख्या Enrolment No ______

ने जॉब रोल/अहर्ता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment of Micro Credential ______

अवधि
of duration ______ अर्जित किया having earned ______ क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर Credits at NCrF/NSQF Level ______

प्रशिक्षण केन्द्र
Training Centre ______ जिला District ______ राज्य State ______

प्रतिशत/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with ______ %/Grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: ______
जारी करने की तिथि
Date of Issue: ______

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link
Digitally Generated Certificate

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Scheme logo (if applicable)

Logo of awarding body
हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -
(Incase of joint certification)

Logo of awarding body
हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -

3. Certificate Template for Upskilling

अवार्डिंग बॉडी का नाम
Name of the Awarding Body
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
कौशलोन्नयन प्रमाणपत्र
Certificate for Upskilling

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री / एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. ____

सुपुत्र / सुपुत्री / प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of ____ जन्म तिथि Date of Birth ____ नामांकन संख्या Enrolment No ____

ने जॉब रोल / अहर्ता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the Upskilling assessment in the job role/qualification ____

अवधि
of duration ____ अर्जित किया having earned ____ क्रेडिट एनसीआरएफ / एनएसक्यूएफ स्तर Credits at NCrF/NSQF Level ____

प्रशिक्षण केन्द्र
Training Centre ____ जिला in District ____ राज्य State ____

प्रतिशत / श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with ____ %/grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: ____

जारी करने की तिथि
Date of Issue: ____

Scheme logo (if applicable)

Logo of awarding body
हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -
(Incase of joint certification)

Logo of awarding body
हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -

ई–सत्यापन लिंक
e-Verification link
Digitally Generated Certificate

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

4. Certificate Template for Re-Skilling

अवार्डिंग बॉडी का नाम
Name of the Awarding Body
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
पुनः कौशलीकरण प्रमाणपत्र
Certificate for Reskilling

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री / एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. ____

सुपुत्र / सुपुत्री / प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of ____ जन्म तिथि Date of Birth ____ नामांकन संख्या Enrolment No ____

ने जॉब रोल / अहर्ता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the Reskilling assessment in the job role/qualification ____

अवधि
of duration ____ अर्जित किया having earned ____ क्रेडिट एनसीआरएफ / एनएसक्यूएफ स्तर Credits at NCrF/NSQF Level ____

प्रशिक्षण केन्द्र
Training Centre ____ जिला in District ____ राज्य State ____

प्रतिशत / श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with ____ %/grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: ____

जारी करने की तिथि
Date of Issue: ____

Scheme logo (if applicable)

Logo of awarding body
हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -
(Incase of joint certification)

Logo of awarding body
हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -

ई–सत्यापन लिंक
e-Verification link
Digitally Generated Certificate

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

5. Certificate for RPL with Up-Skilling

अवार्डिंग बॉडी का नाम
Name of the Awarding Body
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
अपस्किलिंग के साथ पूर्व अधिगम की मान्यता के लिए प्रमाणपत्र
Certificate for Recognition of Prior Learning with Upskilling

NCVET
कौशल गुणवत्ता प्रगति

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री / एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. ____________

सुपुत्र / सुपुत्री / प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of ____________ जन्म तिथि Date of Birth ____________ नामांकन संख्या Enrolment No ____________

ने जॉब रोल / अर्हता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the job role/qualification ____________

अवधि के साथ अपस्किलिंग
with Upskilling of duration ____________ अर्जित किया having earned ____________ क्रेडिट एनसीआरएफ / एनएसक्यूएफ स्तर Credits at NCrF/NSQF Level ____________

प्रशिक्षण केन्द्र
Training Centre/Establishment ____________ जिला in District ____________ राज्य State ____________

प्रतिशत / श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with ________ %/grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: ____________

जारी करने की तिथि
Date of Issue: ____________

Scheme logo (if applicable)

Logo of awarding body
हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -
(Incase of joint certification)

Logo of awarding body
हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -

ई–सत्यापन लिंक
e-Verification link
Digitally Generated Certificate

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

6. Certificate Template for School Boards

अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (SCHOOL BOARD)
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
(Recognised by NCVET)
कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate for Skill Competency

NCVET
कौशल गुणवत्ता प्रगति

Logo of School Board

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री / एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. ____________

सुपुत्र / सुपुत्री / प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of ____________ जन्म तिथि Date of Birth ____________ नामांकन संख्या Enrolment No ____________

ने जॉब रोल / अर्हता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the job role/qualification ____________

अवधि
of duration ____________ अर्जित किया having earned ____________ क्रेडिट एनसीआरएफ / एनएसक्यूएफ स्तर Credits at NCrF/NSQF Level ____________

विद्यालय
School ____________ जिला District ____________ राज्य State ____________

प्रतिशत / श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with ________ %/Grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: ____________

जारी करने की तिथि
Date of Issue: ____________

Scheme logo (if applicable)

Logo of awarding body
हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -
(Incase of joint certification)

हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -

ई–सत्यापन लिंक
e-Verification link
Digitally Generated Certificate

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework